

**To be published in Part - I Section - I of the Gazette of India Extraordinary**

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF COMMERCE  
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi

Dated, the 4<sup>th</sup> December, 2014

**Final Findings**

**Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Acetone, originating in or exported from Korea RP.**

**No.15/13/2013-DGAD:** Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

**A. Background of the Case**

2. The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, had initiated the original investigation concerning imports of Acetone (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from the Republic of Korea and Russia vide Notification No. 14/13/2006-DGAD dated 12<sup>th</sup> February, 2007.
3. The Designated Authority vide Notification No. 14/13/2006 dated 14<sup>th</sup> March, 2008 terminated the investigation concerning the subject goods, originating in or exported from Russia.
4. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No.14/13/2006-DGAD dated 9<sup>th</sup> May, 2008, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP (hereinafter also referred to as the subject country). On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification

No.75/2008-Customs dated 10<sup>th</sup> June, 2008 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

5. M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (hereinafter also referred to as HOCL), supported by M/s SI Group India Ltd (hereinafter also referred as SI Group), filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country, alleging dumping of the subject goods from the subject country and consequent injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of the anti-dumping duty. The applicant requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
6. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/13/2013-DGAD dated 6th June, 2013 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
7. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended up to 09.06.2014 by the Central Government vide Notification 12/2013-Customs (ADD) dated 25.06.2013.
8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**B. Procedure**

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
  - ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in Korea RP (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
- i. M/s LG Chem Ltd.
  - ii. Jisan Chemical Co Ltd.
  - iii. M Corporation.
  - iv. Humade Corporation.
  - v. OCI Corporation.
  - vi. Kumho P&B Chemicals.
  - vii. Cowin Global Co Ltd.
- iv. Response to the exporter's questionnaire was received from following producers/ exporters/traders from Korea RP:
- i. Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP (Producer) along with the Korean traders namely Cowin Global Co. Ltd, HUMADE Corporation, Jisan Chemical Co., Ltd, M Corporation and OCI Corporation.
  - ii. LG Chem, Ltd, Korea RP (Producer/Exporter).
- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
- i. Future Option Exports Pvt Ltd.
  - ii. National Organic Chemical Industries Ltd
  - iii. Ranbaxy Laboratories Ltd.
  - iv. Lanxess India Pvt Ltd.
  - v. Crescent Chemsol Pvt Ltd
  - vi. M/s C.J. Shah and Company
  - vii. M/s Haresh Kumar & Co.
  - viii. M/s PCL Oil & Industries
  - ix. M/s Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.
  - x. M/s Sonkamal Enterprises
  - xi. M/s Khetan Brothers
  - xii. M/s Shubham Dyes & Chemicals Limited
  - xiii. M/s Acron Enterprises
  - xiv. M/s Naiknavare Chemicals Limited
  - xv. M/s Paras Dyes & Chemicals

- xvi. M/s Torrent Pharmaceuticals Limited
- xvii. M/s United Phosphorous Ltd.
- xviii. M/s Resins & Plastic Ltd.
- xix. M/s Kailash Polymers
- xx. M/s Centrum Metalics Pvt. Ltd.
- xxi. M/s Wonder Laminates Pvt. Ltd.
- xxii. M/s Meghdev Enterprises
- xxiii. M/s Satguru International
- xxiv. M/s High Polymer Labs Ltd.
- xxv. M/s Rainbow colours & Chemicals
- xxvi. M/s Bleach Marketing Pvt. Ltd
- xxvii. M/s Karmen International (P) Ltd.
- xxviii. M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
- xxix. M/s NGP Industries Ltd.
- xxx. M/s Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.
- xxxi. M/s India Glycols Ltd.
- xxxii. M/s Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
- xxxiii. M/s National Plywood Industries Ltd.
- xxxiv. Kundan Rice Mills Ltd.

- vi. No questionnaire response was received from any importer.
- vii. SI Group India Ltd, the other domestic producer which supported the petition, filed relevant information subsequently.
- viii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation was 1<sup>st</sup> January, 2012 to 31<sup>st</sup> December, 2012 (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2009-March, 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.
- ix. Transaction wise imports data, procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), has been relied upon for the analysis in present SSR investigation.
- x. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the

subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xiii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearings held on 18.02.2014 and 11<sup>th</sup> August, 2014. All the interested parties attending the hearings were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.
- xiv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.
- xv. The Department of Revenue vide their letter No.354/10/2008-TRU (Pt-1) dated 09.06.2014 extended the time period to complete the investigations up to 5.12.2014.
- xvi. Verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. In accordance with Rule16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties vide disclosure statement issued on 26<sup>th</sup> November, 2011 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been considered in this finding.
- xix. \*\*\* in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.53.69 = 1US\$.

### **C. Scope of Product under consideration and like article**

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

- 10. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:
  - i. The present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration must remain the same as that in the original investigation.

- ii. The PUC is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The definitive Anti-dumping Duty has been imposed by the Central Government vide Customs Notification No.75/2008-Customs dated 10th June, 2008 under the Customs Head 29141100. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
- iii. No significant development has taken place over the period with regard to product under consideration.
- iv. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification.

#### **Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

- 11.No relevant submission has been made by the producers/ exporters/ importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

#### **Examination by the Authority**

- 12.The product under consideration (PUC) in the original investigation as well as the present SSR investigation is Acetone. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colour less liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic syntheses either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acetylene Cellulose Acetate. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The present investigation being a sunset review, the product under consideration remains the same as in the original investigation. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
- 13.The present investigation being a sun set review investigation, the Authority notes that the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as that of the original investigation. Moreover, none of the interested parties have made any relevant submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.

## **D. Domestic Industry and Standing**

### **Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

14. The following are the submissions made by the producers/exporters/other interested parties with regard to scope of the domestic industry and standing:
- i. The Acetone plant of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) has been shut for the past few months. In view of this, HOCL cannot be considered as domestic industry.
  - ii. SI Group merely supported the petition. SI Group should not at this late stage be permitted by the Authority to file a detailed domestic producer data response.
  - iii. SI Group has imported the subject goods from subject country and used for captive consumption.

### **Submissions by the Domestic Industry**

15. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
- i. The scope of domestic industry and standing are not relevant in a sunset review. Nevertheless, the petitioners command major proportion share in Indian production in the POI and, therefore, constitute domestic industry.
  - ii. During the 1<sup>st</sup> oral hearing held on 18.02.2014, it had been contended by the interested parties that SI Group has not provided injury information and the same implies that the company has not suffered injury. Since then SI Group has submitted costing & injury information. However, it is now being argued that SI Group information cannot be considered and it should be merely treated as a 'supporter'. There is no bar in incorporating information given post initiation by the domestic producers. In fact, the objective of seeking information post initiation is to enable the Authority to gather more and more information relevant to investigation. There have been instances in the past, where the Designated Authority had considered information provided by the domestic producers after initiation of the investigation and treated such producers as part of the "domestic industry". Therefore SI Group should be considered as part of the domestic industry.
  - iii. The Designated Authority is required to consider situation prevailing during the period of investigation only. HOCL suspended production because of intensified dumping of the product which has made its current operations totally unviable. HOCL has not completely gone out of business. It has merely suspended production. In fact, this fact further supports the contention of the domestic industry that dumping of the product in the country is required to be prevented in

order to allow domestic industry a fair market situation.

- iv. As regards SI Group, the company has supported the petition. In the post hearing submissions, the information relating to injury to SI Group has already been provided, which clearly establishes that SI Group has also suffered significant deterioration in performance of the company.
- v. In the Final Findings notified by the Authority in the matter of SBR, wherein the Authority was informed that the petitioner had completely gone out of production. The Designated Authority still recommended duties, holding this as a post period of investigation development. This was a situation when there was no other domestic producer in the country. In the present case, admittedly, there is another producer in the country who has also supported the petition.

### **Examination by Authority**

16. As regards the contention that the petition is only made by HOCL and supported by SI Group, the Authority notes that the application in the present SSR investigation has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd on behalf of the domestic industry. The application is further supported by M/s SI Group India Ltd who has subsequently filed relevant information. The information furnished by both the domestic producers has been verified by the Authority to the extent considered relevant.
17. The Authority notes that M/s SI Group India Ltd has imported the subject goods from the subject country during the period of investigation under duty exemption scheme. As clarified by SI Group, the duty free imports made under duty exemption are meant for manufacturing goods for export purpose and such duty free imports have not been traded in the domestic market. In view of this, the imports of the subject goods from the subject country have no bearing on the domestic market and therefore no impact on the standing of SI Group as domestic industry.
18. As regards the contention that HOCL cannot be considered as domestic industry as the Acetone Plant of the HOCL has been shut for the past few months, the Authority notes that Acetone plant of HOCL was operating during the POI. If, during the post POI, the plant has been shut down temporarily, it does not have any relevance for the present investigation.
19. As regards the contention that SI Group has filed information after initiation, and therefore cannot be taken into account for injury determination, the Authority notes that there is no bar in incorporating information given post initiation by the domestic producers. In fact, the objective of seeking information post initiation is to enable the Authority to gather more and more information relevant to the investigation.

20. The Authority further notes that there are no other known producers of the subject goods in the country. The Authority holds that M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd and M/s SI Group India Ltd., account for total Indian production of the subject goods and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

#### **E. Confidentiality**

##### **Submissions by the producers/exporters/importers/other interested parties**

21. The opposite interested parties have alleged that the NCV summary furnished by the domestic industry is inadequate and does not meet the necessary requirement of disclosure and has constrained their submissions.

##### **Submissions by the Domestic Industry**

22. The domestic industry has countered by stating that the non-confidential version of the information filed by them is consistent with the past practices and fully complies with the rules in this regard.

##### **Examination by the Authority**

23. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

24. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of

evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

#### **F. Miscellaneous Submissions**

##### **Miscellaneous submissions made by the producers/exporters/importers and other interested parties**

25. The following miscellaneous submissions have been made by producers/exporters/importers/other interested parties

- i. HOCL has been frequently mis-utilising the WTO mechanism to its interest. It has sought protection from Government of India by filing petitions for imposition of anti-dumping duties and safeguards since the Government of India removed the quantitative restrictions.
- ii. The combined production capacity of Acetone by the domestic producer namely HOCL and SI Group could meet about one third of annual domestic demand and far less with HOCL Plant shut down. Hence, imports of the PUC is a necessity and unavoidable. Any restriction by way of imposition of Anti-dumping duty will be in violation of WTO Agreement especially when the petitioner company meets only 12% of the demand.
- iii. Combating inflation is stated to be the top priority of public policy in India at the moment. Imposition of anti-dumping duty contributes, in cascading fashion, to higher inflation rather than lower.
- iv. In a situation when 70% of domestic demand is met by imports, imposition of anti-dumping duty is unjustified.
- v. Prices of Acetone are determined on global demand and supply basis. Imposition of ADD would violate WTO Agreement.

##### **Miscellaneous submissions made by the domestic industry**

26. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. The petitioners have not demanded ban on imports. The request is for fair market situation for the domestic industry, which is taken away by dumping practices. The demand supply gap is an established factual position in the present case. The Designated Authority has however recommended duties in the past on the grounds that demand supply gap is entirely immaterial to address dumping of the product causing injury to the domestic industry.

- ii. With regard to inflation, it is without any basis that the present anti-dumping duty has contributed to inflation. On the contrary, as repeatedly held by the authority, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- iii. The purpose of anti-dumping duty is only to remove the unfair practice of dumping. It does not lead to violation of WTO Agreement. Indeed, all past imposition of anti-dumping duties on the product have been in accordance with Indian Rules and WTO Agreement. The WTO Agreement nowhere provides that the domestic industry is not entitled to protection, if it meets only 12% of Indian demand.

### **Examination by the Authority**

27. As regards the submission that imposition of anti-dumping duty contributes to inflation, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping duties, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the anti-dumping duties would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the users/consumers of the subject goods
28. As regards the contention that any restriction by way of imposition of Anti-dumping duty will be in violation of WTO Agreement when the petitioner company meets only 12% of the demand, the Authority notes that the domestic industry has met 29% of the demand in POI. Further, in terms of Rule 11 read with Annexure II of the Anti-dumping Rules, the Authority has determined the injury to the domestic industry caused by dumped imports. The applicants in the present investigation constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and the injury analysis has been done on the basis of the verified information pertaining to the domestic industry and therefore imposition of antidumping measures if any in the present case will not be in violation of WTO Agreement.
29. As regards the submission that domestic industry is not capable of meeting the entire demand in the country and import is inevitable, the Authority notes that it is not mandatory on the part of the domestic industry under the Anti-dumping Rules

to fulfill the entire demand to be eligible for a fair price in the market. Moreover, the Authority notes that imposition of anti-dumping measures do not prevent the importers/users to import, but rather ensures multiple sources of supply at fair and competitive prices.

30. As regards the contention that domestic industry has sought protection under the anti-dumping law as well as safeguards law, the Authority notes that there is no legal bar on the domestic industry to seek protection under both the antidumping and safeguard laws.

## **G. Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin**

### **Submissions by the Domestic Industry**

31. Following are the submissions made by the domestic industry:

- i. The petitioners have been unable to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject country. Therefore, Normal value in the subject country has been determined on the basis of best estimates of cost of production, duly adjusted. Major raw material (Benzene) cost has been considered as per Platts report and other raw material costs are taken as petitioner's cost, considering the same as the best estimates of conversion costs involved in production of the product. The consumption norms and utilities cost are taken as per petitioner.
- ii. Export price has been determined as weighted average import price of the product under consideration calculated at the CIF level. Export price has been adjusted for (a) Ocean Freight, (b) Marine Insurance, (c) Commission, (d) Port Expenses, (e) Inland Freight and (f) Bank Commission.
- iii. In response to the argument that the landed value for Korea has been wrongly determined it is submitted that the petitioner strongly apprehends that the exporter has claimed higher export price than the prices reported to Indian Customs. The Designated Authority is requested to collate the data with the Indian Customs Data.
- iv. The interested parties have advocated the need for individual dumping/injury margin determinations for each of the co-operating unaffiliated producer/trader combination separately. However, there is no legal basis for this argument. For one producer, there should not be more than one dumping margin, merely because the goods have been sold through different traders.
- v. There is continued dumping of the product under consideration from Korea RP. The dumping margin is not only beyond de-minimis limits but also substantial.

**Submissions by producers/importers/exporters and other interested parties:**

32. Following are the submissions made by the producers/exporters/importers/ and other interested parties in this regard:

- i. There has been no dumping of Kumho's PUC in India during the Review POI or thereafter. The Export Price of the PUC from Korea to India has risen steadily throughout the past five years except for 2009.
- ii. As per the Petition, the landed value from Korea is higher than countries on which there is neither any AD Duty nor any investigation. Further the verifiable landed value of Kumho's PUC is higher than the weighted average landed value of the PUC from Korea and the weighted average landed value of the PUC from other countries attracting AD duty
- iii. There should be individual dumping/injury margin determinations for each cooperating unaffiliated producer/trader combination separately.
- iv. Due to wide fluctuation in crude prices impacting cost and price of Acetone, DGAD should adopt monthly cost and price to arrive at dumping and injury margin.
- v. Prices of Acetone are determined on global demand and supply basis.
- vi. During the POI, the imports of subject goods from Korea is only 8500 MT, which is less than 5% of the total Indian demand. Such a small volume of imports could not have caused injury to the domestic industry.
- vii. There is limited capacity of production of the PUC in Korea during the POI with over 90% being consumed domestically. There has been no expansion and nor is there any schedule expansion of PUC by KPB post-POI and KPB has already maximized its capacity utilization.
- viii. There has been increased captive consumption of PUC by KPB in recent years due to setting up of BPA plant.
- ix. There have been only occasional and sporadic exports of PUC by KPB and that too through unaffiliated traders only. Thus India is not a target market for KPB.
- x. India exports of KPB's PUC were much lower in volume than the imports at lower price from countries having no ADD.
- xi. KPB has 2 production lines for the PUC which DI has wrongly interpreted as 2 plants. The capacity utilization of both lines is 100% and there is no surplus capacity as alleged by the DI.

## **Examination by Authority**

33. Under section 9A (1)(c) normal value in relation to an article means:

- (i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under subsection (6), or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
  - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - (b) *The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

34. As regards the submission that there should be individual dumping/injury margin determinations for each co-operating unaffiliated producer/trader combination separately, the Authority notes that the dumping margin and injury margin determinations in the present investigation are consistent with the established practice of the DGAD and the Rules in this regard.

35. As regards the contention that a small volume of imports from Korea RP cannot injure the domestic industry, the Authority notes that it has made injury analysis separately elsewhere in this statement.

36. As regards the submission for determination of dumping margin and injury margin, on monthly basis, the Authority notes that the relevant data has been analysed on monthly basis in the present investigation

### **Determination of Normal Value**

37. The following producers/exporters from Korea RP have filed exporter's questionnaire response:

- i. M/s LG Chem Ltd
- ii. Kumho P&B Chemicals, Inc

### **M/s LG Chem Ltd, Korea RP**

38. In the EQ response of LG Chem Ltd, it is stated that they have two plants in Korea involved in the production of the subject goods. It is stated that in the domestic market the Company sold directly to its customers through its own domestic sales and marketing organization during the POI. But in the Attachment B2 of the EQ response, it is stated that the Company has two sales channels in the domestic market i.e. sales to unaffiliated domestic customer (distributor or end user) and sales to affiliated domestic customer (end user).

39. As regards export sales to India during the POI, it is stated in the EQ response filed by LG Chem Ltd that there is only one channel of export to India and the Company has sold to the Indian Customers directly. But, in the attachment at B3 of the EQ response, the export sales channel to India during the POI has been explained as having taken place as (1) to the trader or end user in India directly and (2) through unaffiliated trading company to the trader or end user in India.

40. Subsequently, in response to the queries raised by the Authority, the Company informed that they have exported to India during the POI through three channels viz; (1) sales to unrelated traders/indenters in Dubai who made high sea sales to India (2) sales contract with an indenter in USA with instructions from the indenter to raise all documents including commercial invoice, bill of lading, etc in favour of the Indian buyer, and (3) sales to Indian buyer whereas all documents were raised in favour of the Indian importers.

41. From the details furnished in the EQ response and subsequent correspondences made by LG Chem Ltd, the Authority notes that during the POI the Company has exported totally \*\*\* MT of subject goods to India, out of which \*\*\*MT has been exported through trading companies namely \*\*\*, UAE and \*\*\*, USA, constituting about \*\*\* % of the total exports, who have not filed EQ response in the present investigation.

42. In view of the above stated position and due to absence of complete value chain of the exports, the Authority is not in a position to determine individual margins as representative of LG Chem Ltd., Korea RP and therefore has not granted individual margins to the Company. Since, under the above stated circumstances, determination of normal value concerning LG Chem Ltd., Korea RP is not considered to be relevant, the Authority has not determined individual normal value for LG Chem Ltd., Korea RP.

**Kumho P&B Chemicals, Inc, Korea RP along with Ji San Chemical Co., Ltd Korea RP, Humade Co., Ltd, Korea RP, Cowin Global Co., Ltd, Korea RP, M Corporation, Korea RP and OCI Corporation Ltd, Korea RP**

43. In the EQ response, Kumho P&B Chemical Inc. (KPB) has claimed that the Company has a plant at Yeosu in Korea RP involved in the production of Phenol, Acetone, etc. It is further stated that KPB made sale of a small quantity of the product concerned to its affiliates, \*\*\*. (a major shareholder of KPB), during the period of review. \*\*\* then uses this product concerned as sub-material for production of antioxidants. As regards sales in the domestic market of Korea, it is stated that during the period of review, KPB had only one channel of distribution i.e. direct sales to related and unrelated customers. KPB sold the product concerned to both end-users and distributors in Korean domestic market.
44. As regards exports to India, it is stated that during the POI, KPB sold the product concerned to India through one sales channel i.e. through distributors in Korea namely Ji San Chemical Co., Ltd, Humade Co., Ltd, Cowin Global Co., Ltd, M Corporation and OCI Corporation Ltd. All these trading companies in Korea RP have filed EQ response. Subsequently, in response to the queries raised by the Authority, the Company submitted that in only a limited number of transactions, the traders had involved further unaffiliated traders outside Korea RP who have not filed EQ response in the present investigation. As per the details furnished by the Company, during POI, KPB has exported to India \*\*\*MT of subject goods through M Corporation, Korea RP who in turn exported the said goods to India through \*\*\*, Singapore. Similarly, during the POI KPB has exported to India \*\*\* MT of subject goods through OCI Corporation Ltd, Korea RP, who in turn exported the said goods to India through \*\*\*, Singapore. Further, \*\*\*MT of subject goods have been exported by KPB to India through Humade Co Ltd, Korea RP who in turn have exported the said goods to India through \*\*\*, UAE.
45. Thus, from the subsequent information furnished by Kumho P&B Chemical Inc., the Authority notes that out of the total exports of \*\*\*MT of subject goods to India during the POI, \*\*\*MT, constituting about \*\*\*% of the total exports of subject goods made by KPB to India during the POI, has been exported through M Corporation, Korea RP, OCI Corporation Ltd, Korea RP and Humade Co Ltd, Korea RP who in turn have exported the said goods through \*\*\*, Singapore, \*\*\*, Singapore and \*\*\*, UAE respectively. But, \*\*\*, Singapore, \*\*\*, Singapore and \*\*\*, UAE have not filed EQ response in the present investigation.
46. In view of the above stated position and due to absence of complete value chain of the exports, the Authority is not in a position to determine individual margins as representative of Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP and the connected trading companies and therefore has not granted individual margins to the said companies. Since, under the above stated circumstances, determination of

normal value concerning Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP is not considered to be relevant, the Authority has not determined individual normal value for Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP.

### **Other Producers/Exporters from Korea**

47. The Authority notes that no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Korea RP, including the above stated companies, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information. The Authority has determined the Normal Value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules as US\$ \*\*\* per MT by considering the cost of production of the most efficient domestic industry, duly adjusted to include selling, general & administrative costs/expenses and reasonable profits i.e. 5%.

### **Export Price**

48. The Authority notes that the following producers/exporters from Korea RP had filed exporter's questionnaire response in the present investigation:

- i. M/s LG Chem Ltd
- ii. Kumho P&B Chemicals, Inc

### **M/s LG Chem Ltd, Korea RP**

49. As regards export sales to India during the POI, it is stated in the EQ response filed by LG Chem Ltd that there is only one channel of export to India and the Company has sold to the Indian Customers directly. But, in the attachment at B3 of the EQ response, the export sales channel to India during the POI has been explained as having taken place as (1) to trader or end user in India directly and (2) through unaffiliated trading company with final destination of India to trader or end user in India.

50. Subsequently, in response to the queries raised by the Authority, the Company informed that they have exported to India during the POI through three channels viz; (1) sales to unrelated traders/indenters in Dubai who made high sea sales to India (2) sales contract with an indenter in USA with instructions from the indenter to raise all documents including commercial invoice, bill of lading, etc in favour of the Indian buyer, and (3) sales to Indian buyer whereas all documents were raised in favour of the Indian importers.

51. From the details furnished in the EQ response and subsequent correspondences made by LG Chem Ltd, the Authority notes that during the POI the Company has exported totally \*\*\*MT of subject goods to India, out of which \*\*\*MT has been exported through trading companies namely \*\*\*, UAE and \*\*\*, USA, constituting about \*\*\* % of the total exports, who have not filed EQ response in the present

investigation.

52. In view of the above stated position and due to absence of complete value chain of the exports due to non-filing of EQ response by the trading companies in UAE and USA, the complete value chain in respect of the claimed exports to India during the POI cannot be established. In view of the above position, the Authority does not determine individual export price and does not determine individual margins in respect of LG Chem Ltd, Korea RP in the present investigation.

**Kumho P&B Chemicals, Inc, Korea RP along with Ji San Chemical Co., Ltd Korea RP, Humade Co., Ltd, Korea RP, Cowin Global Co., Ltd, Korea RP, M Corporation, Korea RP and OCI Corporation Ltd, Korea RP**

53. In the EQ response filed by Kumho P&B Chemicals, Inc, Korea RP, it is stated that during the POI, the Company sold the product concerned to India through only one sales channel i.e. through distributors. The trading companies in Korea RP, through whom Kumho stated to have exported the subject goods to India during the POI are Ji San Chemical Co., Ltd Korea RP, Humade Co., Ltd, Korea RP, Cowin Global Co., Ltd, Korea RP, M Corporation, Korea RP and OCI Corporation Ltd, Korea RP, who have filed EQ response in the present investigation.

54. Subsequently, in response to the queries raised by the Authority, it was explained by Kumho that in a limited number of transactions, the traders had involved further unaffiliated traders outside Korea RP who have not filed EQ response in the present investigation. The Authority notes that as per the details furnished by the Company, during POI KPB has exported to India \*\*\* MT of subject goods through M Corporation, Korea RP who in turn exported the said goods to India through \*\*\*, Singapore. Similarly, during the POI KPB has exported to India \*\*\*MT of subject goods through OCI Corporation Ltd, Korea RP, who in turn exported the said goods to India through \*\*\*, Singapore. Further, \*\*\*MT of subject goods have been exported by KPB to India through Humade Co Ltd, Korea RP who in turn have exported the said goods to India through \*\*\*, UAE.

55. Thus, from the subsequent information furnished by Kumho P&B Chemical Inc., the Authority notes that out of the total exports of \*\*\*MT of subject goods made by Kumho to India during the POI, \*\*\*MT, constituting \*\*\*% of the total exports of subject goods made by KPB to India during the POI, has been exported to India through certain trading companies who have not filed EQ response in the present investigation. In view of the above stated position and due to absence of complete value chain of the exports due to non-filing of EQ response by the trading companies in UAE and Singapore, the complete value chain in respect of the claimed exports to India during the POI cannot be established. In view of the above position, the Authority does not determine individual export price and does not determine individual margins in respect of Kumho P&B Chemical Inc, Korea

RP and the connected trading companies namely Ji San Chemical Co., Ltd., Korea RP, Humade Co., Ltd, Korea RP, Cowin Global Co., Ltd, Korea RP, M Corporation, Korea RP and OCI Corporation Ltd, Korea RP, in the present investigation.

**Other Exporters from Korea**

56.The Authority notes that no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all these exporters/producers in Korea RP, including the above stated companies, the Authority has determined the net export price as US\$ \*\*\*per MT based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

**Dumping Margin**

57.Comparing the Constructed Normal Value and the Export price at ex-factory level determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters in the subject country is determined as follows:

S. No	Producer	Exporter	Normal value US\$/MT	Net Export price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
1	All Producers	All Exporters	***	***	***	***	15-25

**F. Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link**

**Submissions by the domestic industry**

58.The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- i. Price undercutting is significantly positive and is likely to increase the demand for the product under consideration in the market in the event of cessation of anti-dumping duty.
- ii. The Designated Authority is required to consider situation during the period of investigation only. HOCL suspended production because of intensified dumping of the product which has made its current operations totally unviable. HOCL has not completely gone out of business. It has merely suspended production.
- iii. Performance of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow has deteriorated in the current Period of Investigation. The information filed by SI Group clearly shows significant deterioration in its profits, cash

flows and return on investment. While SI Group is a private enterprise, HOCL is a public sector organization. The financial losses being suffered by the company forced the company to reduce its production.

- iv. The interested parties have made incorrect statements about capacity utilization, inventory position and price realization of both Indian producers. Capacity utilization of the petitioner has declined. Sales realization has been below cost of production in the period of investigation. The increase in sales realization is less than increase in cost. The increase in sales realization in isolation is misleading unless the trends in cost of sales are also considered.
- v. The Designated Authority is concerned with HOCL's performance with regard to product under consideration. HOCL's performance improved significantly in 2010-11 and in fact considering the improvement in the performance of the HOCL, the Authority had earlier revoked duties on the subject goods. However, because of dumping of the global surplus of the product in the Indian market, HOCL could not improve its performance further and is once again suffering losses.
- vi. It was contended that imports from Korea during the period of investigation is less than 5% of the total demand and hence cannot cause injury. This argument is baseless. Anti-dumping Rules recognizes countries having a share of 3% and above in total imports as having the potential to cause injury to the domestic industry. In this case the imports are significant and are also undercutting and suppressing the prices of the domestic industry causing injury to the domestic industry. Further, in the event of revocation of anti-dumping duty, it is likely that imports of the subject goods will surge and cause further injury to the domestic industry.
- vii. The domestic industry is still suffering continued injury from the imports of dumped subject goods;
- viii. The changes in import prices are required to be seen along with changes in input cost. Mere consideration of import prices would be totally fallacious. The cost of production has also increased significantly. In fact the Korean producers have not increased their prices in proportion to the increase in cost.
- ix. The Authority must consider the cost structures which would show that even at best capacity utilization, HOCL would have suffered significant adverse price effect in the POI.
- x. None of the factors such as exchange volatility, inflation, high interest rates, and volatile stock markets are responsible for claimed injury to the domestic industry. There has been no significant change on any of these factors and

as far as domestic industry and the present product is concerned. The performance of the domestic industry has, however, significantly deteriorated which clearly establishes that such deterioration is not because of the factors identified by KPB.

- xi. The profitability of HOCL over the injury period and production and sale of the company clearly establishes that the company had significant profits in the past, which have now declined to a situation where domestic industry is suffering financial losses. In fact, the Designated Authority held that the performance of the domestic industry improved to such an extent that the anti-dumping duty earlier imposed on Taiwan was withdrawn holding that there was no likelihood of injury to the domestic industry. Such being the case, arguments on up gradation or updating the technology are without any basis. With the present technology, the company was not suffering injury very recently and is now suffering injury. As regards employment, petitioner submits that with the same employment, the Designated Authority found that the domestic industry was profitable and was able to produce and sell the product to such an extent that it was not suffering injury. Such being the case and given that there is no significant increase in employment, there is no basis for the argument that the company is overstaffed and the same is leading to injury.
- xii. The imports from Korea and other countries during the period of investigation clearly show that the imports from third countries are de-minimis. Since the volume itself is de-minimis, the price is immaterial.
- xiii. Imports from Korea are not sporadic or occasional but are significant. In fact, imports have very significantly increased in the current year (2014-15) which clearly shows that the Korean producers are likely to cause significant injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty.
- xiv. HOCL has not adopted different methodology to allocate cost to Phenol and Acetone. HOCL has provided information in a consistent manner.
- xv. Relevant parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and thereby establish causal link.
- xvi. The demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period. Hence the contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
- xvii. Since the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

- xviii. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- xix. Technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are therefore, not a factor of injury.
- xx. The productivity of the domestic industry has decreased which is a result of decrease in the production.
- xxi. The fact of dumping is established by the Authority in all past cases. The significant global surplus in Phenol and Acetone capacity is clearly the cause of dumping of the product in India. Such significant surpluses are likely to continue. In fact, demand for Phenol is likely to increase without proportionate increase in demand of Acetone, which will further create pressure on Acetone prices in the global market.

**Submissions by producers/exporters/importers other interested parties**

59. The producers/exporters/importers/other interested parties have made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- i. The inventories position of SI Group was better than HOCL's throughout the injury period considered and HOCL's inventory position improved in the Review period.
- ii. HOCL operated at a lower level of production, its per unit fixed cost was higher and consequently had a higher level of cost of sales than SI Group which had efficient capacity utilization.
- iii. The NSR by both HOCL and SI Group has improved significantly in the injury period and especially in the Review POI, despite the fact that the domestic producer's captive consumption transfer price was itself consistently lower than the market sales realization which could have been higher had the domestic producers transferred captive consumption at market price.
- iv. The sales price realization by both HOCL and SI Group has improved significantly in the injury period and especially in the Review POI, despite the fact that the domestic producer's captive consumption transfer price was itself consistently lower than the market sales realization which was could thus have been higher had domestic producers transferred captive consumption at market price .
- v. There is no volume effect of the PUC from Korea since the share of Korea in overall imports of the PUC by India has declined sharply including from the

year 2011 to the lifting of the AD duty in the year 2012 on imports of the PUC from Chinese Taipei.

- vi. Kochi plant producing Acetone and Phenol made profits continuously for 10 years until and including Indian financial year 2011-12 despite prices of the PUC imported from Korea, etc., that were lower than in the Review POI.
- vii. Director's Report 2012-13 which indicates modifications of boilers to use LNG instead of LSFO and some debottlenecking of hydrogen peroxide by HOCL at Kochi and some adjustment to capacity utilization, substituting LSFO by LNG is also expected to reduce HOCL's costs substantially and may be adjusted by the Authority both while determining injury and calculating a NIP.
- viii. The Kochi plant of HOCL produces both phenol and acetone. The data of both may be segregated while determining injury margin.
- ix. Lower capacity utilization is would result in higher costs. Thus in case of HOCL, costs may be calculated for NIP purposes on the basis of 100% capacity utilization.
- x. Exchange volatility, inflation, high interest rates, volatile stock markets are also factors that may be taken into account for injury analysis.
- xi. The sales price realization of domestic producers has also risen substantially during the injury period including the POI. However, domestic producers are transferring PUC for captive consumption at below market sales realisation.
- xii. The capacity utilization, inventory and price realization of both the domestic producers has improved in the POI and also in the injury period despite the increase in imports and especially in the face of the alleged dumped imports from Taiwan.
- xiii. Imports from Korea continuously declined with increase in CIF and resultant higher landed value. The landed value from Korea remained to be the highest during the POI as well as in the post POI. Hence imports from Korea have no injurious effect on the domestic producers.
- xiv. Domestic industry did not suffer any price suppression due to imports from Korea. Even in the existence of imports at an average landed value of Rs. 58870/MT during the POI, the DI could sell the product at a price of Rs. 69432/MT during the POI and at a higher price during the post POI.
- xv. The use of high cost LSFO as fuel for boilers, hot oil furnace and CPP in ther Kochi plant of HOCL is the main reasons for cost inefficiency of HOCL.

- xvi. Wrong calculation of landed value from Korea has resulted in inflated price undercutting.
- xvii. 22% ROCE claimed by DI is unreasonable.
- xviii. Captive consumption of Acetone by HOCL needs to be adjusted while determining NIP by the Authority.
- xix. When both HOCL and SI have similar capacities and production, SI's non participation establishes that it is not adversely affected by imports. Thus HOCL's claim of injury is unfounded.
- xx. In every investigation, HOCL has adopted different methodology to allocate cost to Phenol and Acetone which are joint products. This needs to be addressed.
- xxi. There can be no volume effect of imports from Korea since the share of Korean imports has declined sharply prior to lifting of ADD from Chinese Taipei.
- xxii. There is no volume effect of imports from Korea since there is a huge demand and supply gap and imports are inevitable.
- xxiii. The obsolete technology adopted by HOCL is the main reason for their injury. Moreover, being over staffed is also a cause for higher cost of production and inefficiency.
- xxiv. As admitted in the Director's report of HOCL for 2012-13, high labor cost and high incidence of cost on closed plants at Rasayani Unit are the major concerns.
- xxv. DI has claimed that 60% of acetone imports from countries not facing ADD are from Taiwan and Saudi Arabia at lower, dumped prices and for which along with allegedly dumped significant imports from Saudi Arabia there is an ongoing AD investigation. Thus the cause of any injury to the domestic industry lies elsewhere.
- xxvi. One of the main reasons of poor performance of HOCL is the finance crunch being suffered by the company. Thus imports from Korea have no correlation with HOCL's self-inflicted injury.
- xxvii. Lower level of production by HOCL is the main cause of injury to the company. Due to low level of production, the per unit cost is higher, resulting in higher cost of sales. As compared with SI Group, inefficiency of capacity

utilization has resulted in higher cost of sales for HOCL.

- xxviii. Performance of HOCL should be examined in detail since the time when there were quantitative restrictions and imports of Acetone were banned. HOCL has been consistently a sick unit despite Anti-dumping and other protections provided to it. HOCL has never updated and upgraded its technologies. The same is the main reason for its losses.
- xxix. During the period of investigation one company is operating at 105% and the other is operating at 67% which shows that reason for losses to HOCL cannot be due to imports but other factors.
- xxx. The volume of Acetone exports from Korea to India has considerably declined despite the closure for many months of HOCL's plant.
- xxxi. There is no price effect attributable to imports of the PUC exported by Korea. HOCL has made continuous profits in last ten years. No price effect is attributable to imports of the PUC from Korea.
- xxxii. HOCL's Profits allegedly fell from 2012-13 when anti-dumping duty was removed on imports of the PUC from Chinese Taipei and led to substantially increased imports from Chinese Taipei while prices of the PUC exported by Korea rose sharply at this time. Thus there is no price effect attributable to imports from Korea.
- xxxiii. HOCL's Annual Report 2012-13 attributes its claimed loss in 2012-13 in part also withdrawal of certain AD duty on imports of phenol. Thus the claimed loss is clearly for Phenol in addition to Acetone.
- xxxiv. AD Duty is in force for many years on imports of the PUC from various countries. Therefore, if DI continues to face injury it is apparent that the same may be attributed to causes other than imports.
- xxxv. HOCL's annual report for 2012-13 attributes the claimed loss is also due to withdrawal of ADD on phenol.
- xxxvi. HOCL's capacity utilization and inventory position during the POI showed improving trends. SI Group's capacity utilization is more than 100% and a stable inventory position. These show that the domestic industry had no volume injury from the imports of subject goods from the subject country. Thus the claimed volume injury, if any, may be due to other factors and not due to imports of the subject goods from Korea.
- xxxvii. If ADD is imposed on many countries on the imports of subject goods, then DI is facing injury on account of other factors other than imports.

- xxxviii. The landed value of imports from Korea RP was the highest among different sources, while imports vis-à-vis market share of imports from Korea RP was the least. If any injurious price effect on the domestic industry was caused by imports that cannot be attributed to imports from Korea RP.

### **Examination by the Authority**

60. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on consequent injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable law. While most of the issues are concerning the facts and figures which are addressed ipso facto in the injury analysis, the specific submissions are examined and addressed below:
- i. As regards the submission that Kochi plant of HOCL producing Acetone and Phenol made profits continuously for 10 years, the Authority notes that it is a matter of concern that the unit had posted losses in POI.
  - ii. As regards the contention that HOCL has switched over to LNG instead of LSFO as the fuel, during verification it was clarified by the Company that during the POI, LSFO was used in the production of the subject goods.
  - iii. As regards the submission that Kochi plant of HOCL produces both phenol and acetone and therefore the data of both may be segregated while determining injury margin, the Authority notes that NIP is determined in terms of Annexure III of the AD Rules taking in to account all relevant factors.
  - iv. As regards the submission that lower capacity utilization results in higher costs and thus in case of HOCL, costs may be calculated for NIP purposes on the basis of 100% capacity utilization, the Authority notes that NIP is determined in terms of Annexure III of the AD Rules taking in to account all relevant factors.
  - v. As regards the submission regarding the need for making adjustment in the NIP for the expected reduction in the cost of Acetone produced by HOCL and other issues raised by interested parties on computation of NIP, the Authority holds that the NIP has been determined in terms of the principles outlined in Annexure III to the Antidumping Rules based on the data for the POI.
  - vi. As regards the contention that 22% Return on Capital Employed (ROCE) claimed by Domestic industry is unreasonable, the Authority notes that it is the consistent practice of DGAD to allow 22% ROCE.
  - vii. As regards the contention that SI Group's non participation establishes that it is not adversely affected by imports, the Authority notes that SI Group supported the application and post initiation submitted required information and was

verified by the Authority as a part of the domestic industry along with HOCL.

- viii. As regards the contention that obsolete technology adopted by HOCL, over staffing and usage of costlier fuel in boilers, CPP, etc., are the main reasons for their inefficiency contributing to their injury, the Authority notes that had it been so then HOCL would not have been making profits for ten long years.
- ix. The Authority holds that considering the performance of HOCL and SI Group as a whole would not be appropriate as HOCL as well as SI Group are producing multi-products from different locations. Therefore, the Authority has considered the performance of HOCL and SI Group with regard to Acetone only for the purpose of injury analysis and NIP. Therefore, the contention of interested parties that the injury to HOCL is on account of its closed plant in Rasayani has no relevance in the present investigation.
- x. As regards the contention that the main cause of injury to the domestic industry lies in the imports of the subject goods from Taiwan and Saudi Arabia and not imports, the Authority notes that dumping can take place from several sources simultaneously. The objective of anti-dumping measures is to identify the sources of dumping and neutralize the effect of dumping to create a level playing field for the domestic industry.
- xi. It is true that HOCL does suffer from financial crunch, but this cannot be the sole factor of injury. The financial crunch being faced by HOCL is mainly due to incessant dumping.
- xii. As regards the contention that lower level of production by HOCL is the main cause of injury to the company, the Authority notes that it had considered optimum capacity utilization achieved by the company during the injury period for determining the NIP as per AD Rules. This adjustment addresses the injury if any suffered by HOCL on account of lower level of production.
- xiii.** As regards the contention that HOCL's obsolete technology and over staffed position are the main reasons for its injury, the Authority notes that the performance of HOCL over the injury period and production and sale of the company establishes that the company had significant profits in the past, which have now declined to and is suffering financial losses with the present technology. This shows that HOCL was making profit when there was no dumping.
- xiv. As regards the contention that during the period of investigation SI Group is operating at 105% and HOCL is operating at 67% and therefore losses to HOCL cannot be due to imports but other factors, the Authority notes that the domestic industry (constituted by HOCL and SI Group) is suffering injury on account of dumping in the POI. Therefore, injury cannot be attributed to lower capacity utilization only.

- xv. As regards the contention that HOCL's annual report for 2012-13 attributes the claimed loss also due to withdrawal of ADD on phenol, the Authority notes that the present investigation concerns Acetone as the product under consideration and the injury analysis has been carried out in respect of the said product vis-à-vis its dumping from the subject country. Nevertheless, injury can also happen to the domestic industry simultaneously by the dumping of more than one product exported from more than one source.
61. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
62. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
63. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
64. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from Korea RP are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
65. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five

years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

66. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Hindustan Organic Chemicals Limited M/s SI Group India Ltd, constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

**VOLUME EFFECT:**

**Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry**

**Demand and Market Share**

67. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table given below. The Authority notes that though demand for the product in the country during POI increased as compared to the base year, the market share of the domestic industry during the same period has declined.

<b>S N</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>POI</b>
<b>A</b>	<b>Demand</b>					
1	Sales of Domestic Industry	MT	44,400	51,267	41,060	38,854
2	Total Imports	MT	80,601	78,857	102,294	97,292
3	Subject Country	MT	15,939	27,282	18,698	8,486
	Korea	MT	15,939	27,282	18,698	8,486
4	Countries under investigation	MT	10,596	22,483	38,849	49,392
	Taiwan	MT	10,596	17,993	33,159	44,233
	Saudi Arabia	MT	-	4,490	5,690	5,159
5	Countries attracting ADD	MT	51,713	26,401	39,316	37,778
6	Other Countries	MT	2,353	2,691	5,431	1,636
7	Total Demand	MT	125,001	130,124	143,354	136,146
<b>B</b>	<b>Market Share</b>					

1	Domestic Industry	%	36	39	29	29
2	Subject countries	%	13	21	13	6
3	Countries under investigation	%	8	17	27	36
4	Countries attracting ADD	%	41	20	27	28
5	Other Countries	%	2	2	4	1
6	Total	%	100	100	100	100

### **Import Volume & market share**

68. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. From the information given below, the Authority notes that the volume of imports from the subject country, though declined during the POI vis-à-vis the base year, it continues to be significant despite the antidumping duty in force.

<b>S N</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010 -11</b>	<b>2011-12</b>	<b>POI</b>
A						
1	Subject Country	MT	15,939	27,282	18,698	8,486
	Korea	MT	15,939	27,282	18,698	8,486
2	Countries under investigation	MT	10,596	22,483	38,849	49,392
	Taiwan	MT	10,596	17,993	33,159	44,233
	Saudi Arabia	MT	-	4,490	5,690	5,159
3	Countries attracting ADD	MT	51,713	26,401	39,316	37,778
4	Other Countries	MT	2,353	2,691	5,431	1,636
5	Total Imports	MT	80,601	78,857	102,294	97,292
B						
1	Subject Countries	%	20	35	18	9
	Korea	%	20	35	18	9
2	Countries under investigation	%	13	29	38	51
	Taiwan	%	13	23	32	45
	Saudi Arabia	%	-	6	6	5
3	Countries attracting ADD	%	64	33	38	39
4	Other Countries	%	3	3	5	2
5	Total Imports	%	100	100	100	100

## **PRICE EFFECT**

### **Price effect to dumped imports and impact on domestic industry**

69. The impact on the prices of the domestic industry on account to imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of the principles by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows.

### **Price Undercutting and Underselling**

70. The Authority has made analysis of both price undercutting and underselling with and without antidumping duty as below:

### **Price Undercutting**

71. The Authority notes that it is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

72. The authority notes that the imports from subject country are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market. There exists price undercutting with and without anti-dumping duty during POI.

S N	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
		Index	100	104	137	139
2	Landed Value without ADD	Rs/MT	41,952	44,055	58,821	60,573
	Trend	Index	100	105	140	144
3	Antidumping duty	Rs./MT	3,252	3,109	3,241	3,615
4	Landed Value with	Rs/MT	45,204	47,164	62,062	64,188

	ADD					
	Trend	Index	100	104	137	142
5	Price Undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
		Index	100	100	113	94
6	Price Undercutting without ADD	%	***	***	***	***
		Range	10-15	10-15	10-15	10-15
7	Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
		Index	100	105	131	71
8	Price Undercutting with ADD	%	***	***	***	***
		Range	0-10	0-10	0-10	0-10

### **Price Underselling**

<b>Particulars</b>	<b>UOM</b>	<b>POI</b>
Non-Injurious Price of Domestic industry	Rs/MT	***
Landed value without ADD	Rs/MT	60,573
Landed value with ADD	Rs/MT	64,188
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***
Price Underselling with ADD	Rs/MT	***
Price Underselling without ADD	%	***
Price Underselling with ADD	%	***
<b>Range %</b>		
Price Underselling without ADD		5-15
Price Underselling with ADD		0-10

73. The Authority notes that price underselling effect of the dumped imports is positive both with and without anti-dumping duty.

### **Price Suppression and Depression**

74. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The data given below shows that the domestic industry's selling price has remained below its cost of sales during POI. Further the landed price from subject country is below the cost of sales of the domestic industry resulting in price depression.

S N	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
		Index	100	86	128	150
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
		Index	100	104	137	139

### **Examination of other economic parameters of the domestic industry**

75. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

### **Production, capacity and capacity utilization**

76. The Authority notes from the table below that capacity for the product under consideration has increased marginally in the period of investigation. Whereas the actual production and capacity utilization of the domestic industry have declined during POI as compared to the base year as well as previous years.

S N	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
1	Installed Capacity	MT	45,500	45,500	45,500	47,140
		Index	100	100	100	104
2	Production	MT	45,336	50,237	41,669	39,052
		Trend	Index	100	111	92
3	Capacity Utilization	%	99.64	110.41	91.58	82.84
		Trend	Index	100	111	92

### **Sales of the Domestic Industry**

77. From the information given below, the Authority notes that the domestic sales of the domestic industry have declined in the POI as compared to base year as well

as previous years after reaching a peak level in 2010-11.

S N	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
1.	Domestic Sales	MT	41,302	48,442	39,897	38,433
	Trend	Index	100	117	97	93

**Profit/loss, return on investment and cash flow**

78. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

S N	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
1	Cost of Production	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	86	128	150
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	104	137	139
3	Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	373	261	(27)
4	Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	437	252	(25)
5	Profit before interest	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	354	216	0
6	Cash Profit	Rs/MT	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	408	241	(13)
7	Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	485	253	0

79. The Authority notes that profits of the domestic industry declined significantly in the period of investigation. The increase in selling price is much below the increase in the level of costs. The profits before interest increased in 2010-11 and thereafter declined significantly with a steep fall during the period of investigation. It has been further noted that the cash profits showed the same trend as that of profits. The cash profits of the domestic industry declined significantly resulting in cash losses to the domestic industry in the POI. Further, the return on capital employed has deteriorated and has reached negative level in the POI.

### **Inventories**

80. The data given in the table below shows that the inventory levels with the domestic industry have come down as compared to the base year.

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>POI</b>
Average Stock	MT	1,402	1,355	1,144	837
	Index	100	97	82	60

### **Employment and wages**

81. From the table given below, the Authority notes that both the employment and wages of the domestic industry have shown improvement in the injury period. However, it is also noted that given the fact that the domestic industry is a multi product company and performance on account of these factors are governed more by the law of the land, these parameters may not be reflective of the continued injury suffered by the domestic industry.

<b>S N</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>POI</b>
1	Employees	No.	***	***	***	***
		Index	100	103	103	103
2	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
		Index	100	208	247	251

### **Productivity**

82. The Authority notes from the table below that productivity of the domestic industry during POI has moved in tandem with the production over the injury period.

<b>S N</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>	<b>POI</b>
1	Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
	Trend	index	100	108	89	84
2	Productivity per day	MT/Day	124	138	114	107
	Trend	index	100	111	92	86

### **Magnitude of Dumping Margin**

83. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive and substantial despite anti-dumping duty.

## **Growth**

84. The Authority notes that the domestic industry has shown positive growth till 2010-11 after which the growth has become negative and during the POI, the growth is significantly negative.

## **Factors Affecting Domestic Prices**

85. The examination of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that with as well as without the antidumping duty the landed value of the subject goods imported from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing price undercutting as well as price under selling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from subject countries.

## **Ability to raise Capital Investment**

86. The ability to raise capital investment by the domestic industry in the event of dumping is not relevant since the domestic industry is a multi-product company.

## **H. Causal Link**

87. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority has examined whether the following known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

- i. Imports from Third Countries:-The Authority notes that dumped imports of the product under consideration from other countries causing injury to domestic industry are either attracting antidumping duty or under investigation for imposition of antidumping duty. The Authority further notes that though the landed value of imports from Korea is higher as compared to the landed value of imports from countries under investigation and countries subjected to antidumping duty, the dumped imports from Korea are also causing injury to domestic industry in terms of price undercutting, price underselling and price depression.
- ii. Contraction in Demand:- The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has

consistently grown throughout the injury period.

- iii. Pattern of consumption:- It is noted that none of the interested parties has made any submission about the change in the pattern consumption of the subject goods causing injury to the domestic industry.
- iv. Conditions of competition:-The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
- v. Developments in technology:- The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.
- vi. Export performance of the domestic industry:- The export performance of the domestic industry is not relevant since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis.

### **Conclusion on material injury and causal link**

88. The dumped imports of the subject goods from the subject country are undercutting the prices of domestic industry. The dumped imports of the subject goods from the subject country are also causing price underselling, price suppression and price depression effects on the domestic industry's prices. Further, the financial health of the domestic industry has deteriorated in the face of continued dumping. In view of the above, the Authority holds that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports from the subject country.

### **I. Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury**

#### **Submissions by the domestic industry**

89. Following are the submissions made by the domestic industry:

- i. The current volume and price of imports from Korea in itself is sufficient to establish likelihood of injury in case of cessation of anti dumping duty. There is no reason to believe that the volume would decline with the cessation of anti dumping duty.
- ii. Dumping of the product under consideration is continuing and is likely to intensify from the subject country should the current anti- dumping duty be revoked.

- iii. Revocation of anti-dumping duty shall imply intensified injury to the domestic industry.
- iv. Volumes of imports are significant despite current anti-dumping duties in force.
- v. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.
- vi. It is seen that even if KPB has set up a BPA Plant and will be captively consuming 44% of the Product under Consideration, 56% of production by KPB shall still be available for sale in the market. Further, the other producer, LG Chem, is expanding its capacities, which would create significant surplus in Korean market. This would clearly result in intensified competition between Korean producers and shall force both the Korean producers to look for market opportunities outside Korea. The impact of enhancement of capacity by LG shall not be limited to LG alone. It would certainly be felt by KPB as well.
- vii. The fact of dumping is established by the Authority in all past cases. The significant global surplus in Phenol and Acetone capacity is clearly the cause of dumping of the product in India. Such significant surpluses are likely to continue. In fact, demand for Phenol is likely to increase without proportionate increase in demand of Acetone, which will further create pressure on Acetone prices in the global market.
- viii. The global market scenario of the product concerned is not healthy. There exists significant surplus in the global market which is further likely to increase. Therefore in such a situation, producers globally are looking for existing market and utilize the capacities available.
- ix. The prices of subject goods are determined on global demand and supply basis. Now that the product is significantly surplus in the global market, the foreign producers are resorting to cut throat competition in export markets in order to optimize their own production.
- x. Demand of Acetone globally is below the current capacities. Given commodity nature of the product, nature of production process, it follows that the global producers are fiercely competing with each other. Thus, the present global surplus in the product itself would provide significant opportunities to the Korean producers to intensify dumping in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xi. Producers in subject country maintain huge capacities. In case of revocation

of anti-dumping duty the volume of imports of the subject goods is bound to increase further, which is evident from the fact of continued imports in spite of imposition of duty. Known capacity with the producers in the subject country is as follows:

- a. The capacity of the Kumho P&B Chemicals plant is 230,000 MT/year. It is also seen that the plants of Kumho P& B Chemicals are running at 70-80% capacity. The exporter still has excess capacity to be utilized. In the event of revocation of anti dumping duty, the producer is likely to operate at higher capacity and sell the goods to India. The company had argued that they have not enhanced their capacity; however, they have concealed the fact that one of their plants is remaining idle since 2009.
  - b. The combine capacity of the two operating plants of LG is 360,000 MT/year. Its plant at Yeosu has a capacity of 180000 Mt/year. It has recently set up another plant in Deasan in 2013 for acetone and phenol. The plant has a nameplate capacity of 180000MT/year. The ICIS report shows that the new plant is operating at low levels because of prevailing weak market conditions. Thus, given the surplus capacity with the exporter, it is likely to export goods to India, which has a growing market for acetone. Extracts from reports in support of the above have been submitted earlier.
- xii. During the POI the exports from subject country to the world were significant. The prices at which the subject goods were exported to third countries were lower than the prices at which the goods were being exported to India. Further, in the post POI period, the difference in the prices to third countries and to India has further intensified. Therefore, it may be seen that in the event of revocation of anti-dumping duty, the subject country will export goods to India at the same price at which it has exported globally leading to enhanced dumping and injury to the domestic industry.
  - xiii. The decline in the volume of exports from Korea could be because of the weakening of global demand as elaborated above.
  - xiv. The decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.
  - xv. The Designated Authority is not required to determine likelihood of injury from individual company. Likelihood of injury examination is country wise and not company specific. In case there is more than one company in the exporting country and one of them is unlikely to cause injury to the domestic industry, the same does not justify cessation of anti-dumping duty for that company.

- xvi. The producers from subject country are already exporting the product under consideration to a number of countries at dumped prices. Therefore, in the event of cessation of anti-dumping duties, the producers from subject country are likely to divert their third country exports to Indian market, especially given the situation that India's demand is rising.
- xvii. In the event of significant increase in the imports, the domestic industry would have to either reduce its prices or loose sales. In either situation, the domestic industry would suffer injury. If the domestic industry reduces the prices, it would suffer significant financial losses, negative return on investment and negative cash flows. The domestic industry would lose further market share and consequently production, sales and capacity utilization.
- xviii. The domestic industry is already suffering injury. Should the present anti-dumping duty be revoked, the injury to the domestic industry would aggravate.

**Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

90. The following are the submissions made by the producers/exporters/importers/ other interested parties with regard to likelihood of dumping and injury:

- i. There is limited capacity of production of the PUC in Korea during the Review POI with over 90% being consumed domestically.
- ii. There is no expansion or scheduled expansion by KPB post SSR POI and it may be noted that KPB has already maximized capacity utilization.
- iii. There were sharply declining exports from Korea to India in the injury period considered and importantly from 2011 before the withdrawal of duty on Chinese Taipei's PUC.
- iv. There has been increased captive consumption of PUC by KPB in recent years due to setting up by KPB of its own captive BPA Plant.
- v. There have been only sporadic and occasional India deliveries of KPB's PUC.
- vi. India Export volumes of KPB's PUC in particular were much lower than imports at lower prices from countries on which there was no AD duty.
- vii. The fact that there have only been sporadic and occasional India deliveries of KPB's PUC and through various unaffiliated traders rather than directly – further indicates India is not a target market.

viii. The domestic industry's argument that withdrawal of ADD on acetone from Korea will lead to resumption of dumping in the same way as it has happened in case of imports from Taiwan is not true due to the reasons that Korea consumes 90% of its production of acetone and has little exportable surplus, Korea has a number of third country markets to cater, imports from Korea did not substitute imports from Chinese Taipei and substantial increase in the export prices of Korea.

### **Examination by the Authority**

91. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Korea RP. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, as there are continued dumped imports of the subject goods from the subject country despite imposition of the anti-dumping measures, the Authority notes that it is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product concerned. However, considering the fact that the dumping margin in the original as well as the present investigation is significant and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reasons to believe that dumping may intensify if the duty is revoked. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country is continuing dumping of the subject goods in the Indian market. The following analysis shows about the likelihood of intensified dumping and further injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties.

#### **(i) Level of current and past dumping margin**

92. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is significant. Despite the domestic industry holding the capacity to meet substantial demand, the import of the subject goods from the subject country still continues to be at dumped prices. Given the level of price undercutting, underselling without the anti-dumping duty and price suppression and considering the capacity in Korea and demand in India, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

#### **(ii) Price attractiveness of Indian market**

93. The prices at which the subject goods are being imported are lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding huge capacities. Further, as claimed by domestic industry, such circumstances would result in likelihood of injury to the Domestic industry.

**(iii) Export orientation of foreign producers**

94. From the available information it is noted that the Korean producers/exporters are very much export oriented. Considering the high demand and favorable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of the Korean producers, the Authority holds that if the existing anti dumping duty is withdrawn, there is every likely hood of substantial demand for the subject goods in India will be catered to by the Korean producers/exporters.

95. Following factors demonstrate that there exists a causal relationship between the likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury:

- a) Dumped imports from subject country have remained significant in POI in spite of antidumping duty is in force.
- b) Imports from subject country are undercutting the prices of the domestic industry.
- c) Domestic industry is suffering injury in terms of deterioration in sales, production, capacity utilization, profits and consequently returns on investment.

**J. Magnitude of Injury and injury margin**

96. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin based on monthly analysis so worked out is as under:

<b>Particulars</b>	<b>UOM</b>	<b>POI</b>
Non-Injurious Price	Rs/MT	***
Landed value without ADD	Rs/MT	60,573
Injury Margin	Rs/MT	***
Injury Margin	US\$/MT	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin	Range %	5-15

The Authority notes from the above data that the injury margin is not only positive but also significant in the POI.

## **K. Indian industry's interest and other issues**

97. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

## **L. Post-Disclosure Comments**

98. The following are the post-disclosure comments/submissions made by the domestic industry and other interested parties and considered relevant by the Authority:

### **Domestic Industry**

- i. The Authority has held rightly that due to non-filing of EQ response by trading companies in UAE and USA which constitute \*\*\*% of total exports and due to absence of complete value chain of the exports, the Authority is not in a position to determine individual margins as representatives of LG Chem Ltd., Korea RP. Authority has further rightly held that since under such circumstances, determination of normal value concerning LG Chem Ltd., Korea RP is not considered to be relevant, the Authority has not determined individual normal value for LG Chem Ltd., Korea RP.
- ii. The Authority has rightly held in respect of KPB that since trading companies from Singapore and UAE have not filed EQ response in the present investigation and due to absence of complete value chain of the exports, the Authority is not in a position to determine individual margins as representatives of Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP and the connected trading companies. Therefore, the Authority has rightly not granted individual margins to the said companies. The Authority has rightly provided in this regard that determination of normal value concerning Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP is not considered to be relevant, therefore the Authority has not determined individual normal value for Kumho P&B Chemical Inc, Korea RP.
- iii. The disclosures in the disclosure statement clearly establish that material facts have been suppressed by the interested parties from the domestic industry. Designated Authority should consider this act of the exporters as a malafide act to withhold vital information by misusing the confidentiality provisions under the law.

- iv. The non injurious price determined is too low and grossly inadequate to protect legitimate interests of the domestic industry.
- v. The anti dumping duty is required to be enhanced and continued as fixed quantum of anti dumping duty expressed in terms of US\$ and extended for a period of five years.

**LG Chem. Ltd., Korea RP**

- i. Conclusion of the Designated Authority that goods exported through trading companies in UAE and USA constitutes about \*\*\*% is incorrect. The direct export by LG Chem Ltd., Korea RP, constitutes \*\*\*% and through traders constitutes \*\*\* %.
- ii. Both the trading companies namely \*\*, UAE. and \*\*. USA are not related companies to LG Chem. Due to the same, LG had no control over decisions of unrelated companies.
- iii. The decision of the Designated Authority not to grant individual margins to LG Chem Ltd., Korea RP on the ground of absence of complete value chain of the exports is contrary to law and practice.
- iv. LG Chem Ltd., Korea RP, has reported all sales transactions which were destined for exports to India. The same formed the basis of reporting export transactions in Appendix -2 of the Questionnaire Response. The goods have been sold first to an independent buyer and the same should form basis of calculating Export Price to India. Goods have physically transported to India directly from Korea RP. Insistence of the Designated Authority for complete value chain is arbitrary and illegal.

**Kumho P & B Chemicals, Inc., M Corporation, OCI Corporation, Jisan Chemicals Co., Ltd, Humade Corporation and Cowin Global Co., Ltd., Korea RP**

- i. KPB and the respective five supporting trader exporters had filed EQ Response. The traders who exported through further traders have furnished information regarding such transactions in their respective Appendix 2B. Thus, it is incorrect that the concerned trading companies have not provided required information to the Authority by filing EQ response.
- ii. Disregarding domestic sales transaction in the determination of Normal value on the excuse that the Authority could not establish a complete value chain in respect of \*\*\* % of exports is not proper and is unacceptable.

### **Examination by the Authority**

99. The post-disclosure comments/submissions made by the domestic industry and other interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

- i. As regards the submission made by the domestic industry that the non injurious price (NIP) determined is too low and grossly inadequate to protect legitimate interests of the domestic industry, the Authority notes that the NIP has been determined as per Annexure III of the Anti-dumping Rules.
- ii. As regards the post disclosure comments received from LG Chem Ltd., Korea RP, the same are examined as below:
  - a. As regards the contention that the goods exported through trading companies in UAE and USA constitutes \*\*\* % and not \*\*\* %, the Authority has examined the matter and notes that the exports made by LG Chem Ltd., Korea RP through the traders in UAE and USA, who have not filed exporters questionnaire response in the present investigation, constitutes \*\*\* %. Nevertheless, the Authority further notes, \*\*\* % is a significant quantum and without the same before the Authority, the value chain cannot be accepted as complete and export price claimed by LG Chem Ltd. cannot be considered as representative of the Company.
  - b. Further, the Authority notes that LG Chem Ltd., Korea RP has claimed to have exported \*\*\* Mt directly to India during the POI. They have further claimed that they have exported \*\*\* MT in December, 2011, which arrived in India post-POI. However, while examining the above stated contentions with the Indian Customs data, the Authority notes that LG Chem Ltd., Korea RP is reported to have exported \*\*\* MT to India during the POI. Thus the difference of about \*\*\* MT has gone unreported in the data furnished by LG Chem Ltd., Korea RP. In view of this position, the information furnished by LG Chem Ltd., Korea RP cannot be relied upon for grant of individual margins.
  - c. As regards the contention that both the trading companies, who have not filed exporters questionnaire response in the present investigation are not related companies to LG Chem, the Authority notes that absence of relationship is immaterial when significant volume of goods involved have been shipped to India directly by the producer and the trading companies concerned have not filed exporters questionnaire response. Such kind of transactions cannot be accepted as complete value chain without the trading companies coming before the Authority with complete information.

- iii. The post disclosure comments received from Kumho P & B Chemicals, Inc., Korea RP and the five respondent trading companies are examined as below:
- a. As regards the contention that the trading companies who have filed EQ response have provided information regarding the transactions made through further traders in their Appendix 2B and therefore filing of separate EQ response by such further traders is not necessary, the Authority notes that each party who are involved in an export transaction have to file EQ response, otherwise the value chain cannot be treated as complete and reliable. Moreover, the trading companies like Humade, M Corporation and OCI Corporation have declared in their respective EQ responses that goods have been purchased from Kumho and exported to unrelated customers in India directly. In the channel of sales to India declared in their EQ responses, the exports made through further trading companies in Singapore and UAE have not been declared. Nevertheless, it is an acknowledged position that \*\*\* % of the exports made by Kumho P & B Chemicals, Inc. to India during the POI through certain trading companies have gone un-responded. Such kind of transactions cannot be accepted as complete value chain without the trading companies coming before the Authority with complete information.
  - b. As regards the contention that disregarding domestic sales transaction in the determination of Normal value on the excuse that complete value chain could not be established in respect of \*\*\* % of exports is not proper and is unacceptable, the Authority notes that determination of normal value and export price in respect of a producer/exporter are required for determination of dumping margin. In a situation when the export price is not determined and individual dumping margin is not granted due to absence of complete value chain as a consequence of non-filing of exporter's questionnaire response by the involved trading companies, determination of individual normal value for such producers/exporters is irrelevant.

## **M.CONCLUSIONS**

100. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of

dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. There is continued dumping of the product concerned from Korea RP, causing injury to the domestic industry.
- ii. Price undercutting and underselling effects are positive.
- iii. The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated.
- iv. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty be revoked.

#### **N. Recommendations**

101. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below.
102. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

#### **Duty Table**

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29141100	Acetone	Korea RP	Korea RP	Any	Any	79.75	MT	USD
2.	Do	Do	Korea RP	Any country other than Korea RP	Any	Any	79.75	MT	USD
3.	Do	Do	Any country other than Korea RP	Korea RP	Any	Any	79.75	MT	USD

#### **O. Further Procedures**

103. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

**J.K. Dadoo**  
**Designated Authority**

## भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

### अधिसूचना

नई दिल्ली

दिनांक : 4 दिसंबर, 2014

### अंतिम जाँच परिणाम

**विषय :** कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसीटोन्के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर)

**संख्या 15/13/2013-डीजीएडी :** समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

#### **क. मामले की पृष्ठभूमि**

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 ने दिनांक 12 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/13/2006-डीजीएडी के द्वारा कोरिया गणराज्य और रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसीटोन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच शुरू की थी।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/13/2006-डीजीएडी के द्वारा रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु से संबंधित जाँच को समाप्त कर दिया था।

4. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/13/2006-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए, जिनमें कोरिया गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के

मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जाँच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिनांक 10 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 75/2008-सीमाशुल्क द्वारा राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

5. मैं हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे एचओसीएल भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन दायर किया है जो मैं. एसआईग्रुप इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे एसआई ग्रुप भी कहा गया है) द्वारा समर्थित है और जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन होने और परिणामी क्षति और पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है। आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसे बढ़ाने का अनुरोध किया है।

6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, के लिए दिनांक 6 जून, 2013 की अधिसूचना सं. 15/13/2013-डीजीएडी के द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की थी।

7. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25.06.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को 09.06.2014 तक बढ़ा दिया गया।

8. वर्तमान समीक्षा के दायरे में पूर्ववर्ती जाँचों में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित सभी पहलू शामिल हैं।

#### **ख. प्रक्रिया**

9. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

xxi. नई दिल्ली के संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार इस जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था।

xxii. इस प्राधिकारी ने उपर्युक्त नि यमावली 6(3) के अ नुरूप ज्ञात निर्यातकों तथा संब द्ध देश के दूतावास को इन आवेदनों का अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थी। आवेदन अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दी गई।

xxiii. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए ) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की तथा उन्हें नियमावली 6(2) एवं 6(4) के अनुरूप पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण रखने का उन्हें अवसर दिया:

- viii. मैसर्स एलजी कैम लिमिटेड
- ix. जिसान कैमिकल कं0 लिमिटेड
- x. एम कार्परिशन
- xi. ह्युमेड कार्परिशन
- xii. ओसीआई कार्परिशन
- xiii. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल्स
- xiv. कोविन ग्लोबल कंपनी लिमिटेड

xxiv. कोरिया गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:

- iii. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य (उत्पादक) कोविन ग्लोबल क. लि. , ह्युमेड कार्परिशन, जिसान केमिकल्स क. लि., एम कार्परिशन और ओसीआई कार्परिशन
- iv. मैसर्स एलजी कैम लिमिटेड कोरिया गणराज्य (उत्पादक और निर्यातक)

xxv. इस प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों /उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे ) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की तथा उन्हें सलाह दी कि नियम 6(4) के अनुरूप इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें:

- xxxv. फ्यूचर ऑप्शन एक्सोपर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
- xxxvi. नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxxvii. रेनबैक्सी लेब्रोटीज़ लिमिटेड
- xxxviii. लेनएक्सेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- xxxix. क्रिसंट कैमसोल प्राईवेट लिमिटेड
- xl. मैसर्स सी.जे. शाह एण्ड कंपनी
- xli. मैसर्स हरेश कुमार एण्ड कंपनी

- xlii. मैसर्स पीसीएल ऑयल एण्ड इंडस्ट्रीज
- xliii. मैसर्स कांतिललाल मनीलाल एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
- xliv. मैसर्स सोनकमल इंटरप्राइसिस
- xlv. मैसर्स खेतान ब्रदर्स
- xlvi. मैसर्स शुभम डाइज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
- xlvii. मैसर्स एकरोन इंटरप्राइसिस
- xlviii. मैसर्स नेकनावारे केमिकल्स लिमिटेड
- xliv. मैसर्स पारस डाइज़ एण्ड केमिकल्स
  - i. मैसर्स ट्रॉन्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
  - ii. मैसर्स युनाईटेड फास्फोरस लिमिटेड
  - iii. मैसर्स रेसिनस एण्ड प्लास्टिक लिमिटेड
  - iiii. मैसर्स कैलाश पोलीम्स
  - liv. मैसर्स सेंट्रम मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
  - lv. मैसर्स वंडर लेमिनेटस प्राईवेट लिमिटेड
  - lvi. मैसर्स मेघदेव इंटरप्राइसिस
  - lvii. मैसर्स सतगुरु इंटरनेशनल
  - lviii. मैसर्स हाई पोलीम्स लेब्स लिमिटेड
  - lix. मैसर्स रैनबो क्लर्स एण्ड केमिकल्स
  - lx. मैसर्स ब्लीच मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
  - lxi. मैसर्स कारमेन इंटरनेशनल (प्रा.) लिमिटेड
  - lxii. मैसर्स कृष्णा एंटीएक्सीडेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
  - lxiii. मैसर्स एनजीपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
  - lxiv. मैसर्स फार्मसन फार्मास्युटिकल्स गुजरात लिमिटेड
  - lxv. मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड
  - lxvi. मैसर्स सिंह प्लास्टिसाईजर्स एण्डग्रेसिनस (इंडिया) प्राईवेट
  - lxvii. मैसर्स नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
  - lxviii. कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड

xxvi. किसी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

xxvii. याचिका का समर्थन करने वाले अन्य घरेलू उत्पादक एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने तत्पश्चात संगत सूचना दी है।

- xxviii. वर्तमान समीक्ष जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक है। हानि संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2009 - मार्च 2010, अप्रैल 2010 - मार्च 2011, अप्रैल 2011 - मार्च 2012 तथा जांच की यह अवधि शामिल है।
- xxix. वाणिज्य आसूचना एवं सांयिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस ) से लिए गए सौदा- वार आयात आंकड़ों का वर्तमान एसएसआर जांच में विश्लेषण के लिए विश्वसनीय माना है।
- xxx. निर्यातक, उत्पादक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना दी है , को प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xxxi. इस प्राधिकारी में नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध करया।
- xxxii. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत से संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा , हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।
- xxxiii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 18.02.2014 और 11 अगस्त, 2014 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने दृष्टिकोण को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- xxxiv. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जहां तक उसे आवश्यक माना गया।
- xxxv. राजस्व विभाग ने दिनांक 9.6.2014 के पत्र सं. 354/10/2008-टीआरयू(पीटी-1) द्वारा जांच पूरी करने की समय-सीमा को 5.12.2014 तक बढ़ा दिया।
- xxxvi. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जहां तक उसे आवश्यक माना गया।
- xxxvii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- xxxviii. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 26 नवम्बर, 2014 को प्रकटन बयान के रूप

में सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस मामले के आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया और उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

xxxix. इस निष्कर्ष में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधा र पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का घटक है।

xi. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 53.69 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

### ग विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- v. चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहना चाहिए।
- vi. विचाराधीन उत्पादन को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा सीमा-शुल्क शीर्ष 29141100 के अंतर्गत दिनांक 10 जून, 2008 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 75/2008-सीमा-शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। तथापि यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- vii. विचाराधीन उत्पादन के संबंध में इस अवधि के दौरान कोई खास विकास नहीं हुआ है।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादि वस्तुएं भौतिक और तकनीकी विशेषताओं , विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी , कार्य और प्रयोग , उत्पाद विनिर्देशन , कीमत निर्धारण , वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

#### उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों /निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई संगत अनुरोध नहीं किए गए हैं।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

12. मूल जांच तथा वर्तमान एसएसआर जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एसीटोन है। यह एकल ग्रेड में उत्पादित एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है । यह एक रंगहीन द्रव है जिसमें इथर जैसी गंध होती है। इसका प्रयोग विलायक या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में अनेक कार्बनिक संयोजनों में किया जाता है। इसका प्रयोग बल्क भेषजों, कृषि रसायनों, डाई स्टाफ, कतिपय विस्फोटकों और डाउन-स्ट्रीम रसायनों के विनिर्माण में किया जा ता है। एसीटोन का प्रयोग विशेष रूप से आईसोफोरोन , डाइएसीटोन, एल्कोहल, मिथाइल मिथाक्रिलेट और बिस्फेनोल-ए के विनिर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कतिपय रबड़ रसायनों या ऑक्सी एसीटीलिन सेल्यूलोस एसीटेट के विनिर्माण में किया जाता है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं भौतिक और तकनीकी विशेषताओं , विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग , उत्पाद विनिर्देशन , कीमत निर्धारण , वितरण और विपणन तथा टैरिफ

वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहना चाहिए। एसीटोन को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप-शीर्ष 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है

13. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के दायरे के समान ही रहेगा। इसके अलावा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समीक्षा के दायरे में संशोधन (कटौती सहित) करने का कोई संगत अनुरोध नहीं किया है।

#### **घ घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

##### **उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

14. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के दायरे के संबंध में उत्पादकों /निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-
- iv. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) का एसीटोन संयंत्र पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा है इसके मद्देनजर एचओसीएल को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।
- v. एसआई ग्रुप ने केवल याचिका का समर्थन किया है एसआई ग्रुप को इतने अंतिम स्तर पर घरेलू उत्पादक विस्तृत आंकड़े संबंधी उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जानी चाहिए।
- vi. एसआई ग्रुप ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और आबद्ध खपत के लिए उसका प्रयोग किया है।

##### **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- vi. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति किसी निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं होते हैं फिर भी याचिकाकर्ताओं का जांच अवधि में भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रहा है और इसलिए वे घरेलू उद्योग हैं।
- vii. दिनांक 18.02.2014 को हुई पहली मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एसआई ग्रुप ने क्षति संबंधी सूचना नहीं दी है और इसका अर्थ यह है कि कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तब से एसआई ग्रुप ने लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। तथापि अब यह तर्क दिया जा रहा है कि एसआई ग्रुप की सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल "समर्थक" माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा जांच शुरुआत के बाद दी गई सूचना को शामिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है वस्तुतः जांच शुरुआत के बाद सूचना मांगने का उद्देश्य प्राधिकारी को जांच से संगत अधिकाधिक सूचना एकत्र करने में सक्षम बनाना है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के पश्चात घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया है और ऐसे उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" का हिस्सा माना है। अतः एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए।

- viii. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए केवल जांच अवधि के दौरान प्रचलित स्थिति पर विचार करना अपेक्षित है। एचओसीएल ने उत्पाद के भारी पाटन जिसकी वजह से उनके वर्तमान प्रचालन पूरी तरह से अव्यवहार्य हो गए थे, के कारण उत्पादन बंद कर दिया था। एचओसीएल पूरी तरह से व्यापार से बाहर नहीं गया है। उसने केवल उत्पादन बंद किया है। वास्तव में यह तथ्य घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन करता है कि देश में उत्पाद के पाटन को रोका जाना घरेलू उद्योग के उचित बाजार स्थिति में कार्य करने देने के लिए आवश्यक है।
- ix. एसआई ग्रुप के संबंध में कंपनी ने याचिका का समर्थन किया है। सुनवाई के पश्चात के अनुरोधों में एसआई ग्रुप को हुई क्षति से संबंधित सूचना पहले ही दे दी गई है जिससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि एसआई ग्रुप को भी कंपनी के कार्य निष्पादन में भारी क्षति उठानी पड़ी है।
- x. एसबीआर के मामले में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों जिनमें प्राधिकारी को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है, में भी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह मानते हुए शुल्क की सिफारिश की थी कि यह जांच के बाद की गतिविधि है। यह ऐसी स्थिति थी जब देश में कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं था। वर्तमान मामले में स्वीकृत रूप से देश में दूसरा उत्पादक है जिसने याचिका का समर्थन भी किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

16. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यह याचिका केवल एचओसीएल द्वारा की गई और एसआई ग्रुप द्वारा समर्थित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान एसएसआर जांच आवेदन घरेलू उद्योग की ओर मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन को मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड का समर्थन भी प्राप्त है जिन्होंने बाद में संगत सूचना प्रस्तुत की है। दोनों घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।
17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। जैसा एसआई ग्रुप द्वारा स्पष्ट किया गया है शुल्क छूट के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात निर्यात प्रयोजन के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु होते हैं और ऐसे शुल्क मुक्त आयातों का व्यापार घरेलू बाजार में नहीं किया जाता है। इसके मद्देनजर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू बाजार का कोई संबंध नहीं है और इसलिए इससे एसआई ग्रुप के घरेलू उद्योग होने की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
18. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एचओसीएल को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है क्योंकि एचओसीएल का एसीटोन संयंत्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल का एसीटोन संयंत्र जांच अवधि के दौरान चालू था। यदि जांच अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान संयंत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तो वर्तमान जांच से उसकी कोई संगतता नहीं है।
19. इस तर्क के संबंध में एसआई ग्रुप ने जांच शुरुआत के बाद सूचना प्रस्तुत की है और इसलिए क्षतिनिर्धारण हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों द्वारा जांच

शुरूआत के बाद दी गई सूचना को शामिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुतः : जांच शुरूआत के बाद सूचना मांगने का उद्देश्य प्राधिकारी को जांच से संगत अधिकाधिक सूचना एकत्र करने में सक्षम बनाना है।

20. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड संबद्ध वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन करते हैं और नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

### **ड गोपनीयता**

#### **उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

21. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत एनसीवी सारांश अपर्याप्त है और वह प्रकटन संबंधी जरूरी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और उससे उनके अनुरोधों में बाधा पहुंची है।

#### **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

22. घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए इस बात का विरोध किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं से संगत है और संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन करता है।

#### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे को माना है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है।

## छ. विविध अनुरोध

### उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध

25. उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:-

- vi. एचओसीएल अपने हित के लिए लगातार डब्ल्यूटीओ तंत्र का दुरुपयोग करता रहा है। उसने भारत सरकार द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद से पाटन- रोधी शुल्कों और रक्षोपाय को लागू करने के लिए संरक्षण मांगते हुए भारत सरकार को याचिकाएं दायर की हैं।
- vii. घरेलू उत्पादक अर्थात् एचओसीएल और एस आई ग्रुप द्वारा ऐसीटोन की संयुक्त उत्पादन क्षमता वार्षिक घरेलू मांग के लगभग एक-तिहाई को ही पूरा कर सकती है और एचओसीएल के संयंत्र के बंद होने से यह और कम हो गई है इसलिए पीयूसी के आयात आवश्यक और अपरिहार्य है। पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने के रूप में कोई प्रति बंध डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन होगा , विशेषरूप से तब जब याचिकाकर्ता कंपनी मांग के केवल 12% को पूरा करती है।
- viii. इस समय भारत में मुद्रास्फीति पर रोक लगाना सार्वजनिक नीति की सर्वोच्च वरीयता है। पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से मुद्रास्फीति कम होने के बजाए निरंतर बढ़ जाएगी।
- ix. ऐसी स्थिति में जबकि 70% घरेलू मांग आयातों द्वारा पूरी की जा रही है , पाटन-रोधी शुल्क लगाना अनुचित है।
- x. ऐसीटोन की कीमतें वैश्विक मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। पाटन- रोधी शुल्क लगाने से डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन होगा।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- iv. याचिकाकर्ताओं ने आयातों पर प्रतिबंध की मांग नहीं की है। यह अनुरोध घरेलू उद्योग के लिए उचित बाजार स्थिति हेतु है जिसे पाटन की प्रक्रिया द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मांग और आपूर्ति में अंतर वर्तमान मामले में सुस्थापित वास्तविक स्थिति है। तथा पि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व में इस आधार पर शुल्कों की सिफारिश की है कि मांग और आपूर्ति का अंतर घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बनने वाले उत्पाद के पाटन के समाधान में पूर्णतः अवास्तविक है।
- v. मुद्रास्फीति के संबंध में यह बात निराधार है कि वर्तमान पाटन- रोधी शुल्क से मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसके विपरीत जैसा प्राधिकारी ने बार- बार माना है पाटन- रोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होते हैं , घरेलू उद्योग का हास रूकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटन- रोधी उपाए लागू होने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से बाधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- vi. पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटन की अनुचित प्रथाओं को हटाना है। इससे डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन नहीं होता है। वास्तव में उत्पाद पर पूर्व में लागू सभी पाटन-रोधी शुल्क भारतीय नियमों और डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार रहे हैं। डब्ल्यूटीओ करार में कही भी यह व्यवस्था नहीं है कि यदि घरेलू उद्योग भारतीय मांग का केवल 12% पूरा करता है तो वह संरक्षण का हकदार नहीं है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

27. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से मुद्रास्फीति बढ़ती है प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से संभवतः संबद्ध वस्तु से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धात्मकता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की राशि को ऐसी राशि तक सीमित रखा जाए जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत, पाटन-रोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होते हैं, घरेलू उद्योग का हास रूकेगा और उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद मिलेगी।
28. इस तर्क के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लागू करके लगाया गया कोई प्रतिबंध तक डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन होगा जब याचिकाकर्ता कंपनी मांग का केवल 12 प्रतिशत ही पूरा करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में 29 प्रतिशत मांग को पूरा किया है। इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित नियम 11 के अनुसार प्राधिकारी ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को निर्धारित किया है। वर्तमान जांच में आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और क्षति संबंधी विक्षेपण घरेलू उद्योग से संबंधित सत्यापित सूचना के आधार पर किया गया है और इसलिए वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना, यदि कोई हो, डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन नहीं होगा।
29. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग देश की पूरी मांग को पूरा करने में असमर्थ है और आयात अपरिहार्य हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से बाजार में उचित कीमत के लिए पात्र होने के लिए पूरी मांग को पूरा करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू होने से आयातक/प्रयोक्ता आयात से प्रतिबंधित नहीं होंगे बल्कि इससे उचित और प्रतिस्पर्धी कीमत पर अनेक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
30. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी कानूनों और रक्षोपाय कानूनों के अंतर्गत संरक्षण की मांग की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए पाटनरोधी कानूनों और रक्षोपाय कानूनों के अंतर्गत संरक्षण मांगने पर कोई विधिक रोक नहीं है।

### **ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

## घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- vi. याचिकाकर्ता संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत संबंधी कोई सूचना /साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अतः संबद्ध देश में सामान्य मूल्य को विधिवत रूप से समायोजित उत्पादत लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रमुख कच्ची सामग्री (बेन्जीन) की लागत प्लेट्स की रिपोर्ट के अनुसार माना गया है और अन्य कच्ची सामग्री की कीमत लागतें उत्पाद के उत्पादन में शामिल परिवर्तन लागतों के सर्वोत्तम अनुमानों के रूप में उन पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की लागत के रूप में ली गई हैं। खपत मानकों और सुविधाओं की लागत को याचिकाकर्ता के अनुसार माना गया है।
- vii. निर्यात कीमत को सीआईएफ स्तर पर परिकल्पित विचाराधीन उत्पाद की भारत औसत आयात कीमत के रूप में निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत को (क) समुद्री भाड़ा (ख) समुद्री बीमा (ग) कमीशन (घ) पत्तन व्यय (ङ) अंतर्देशीय भाड़ा और (च) बैंक कमीशन के लिए समायोजित किया गया है।
- viii. इस तर्क के उत्तर में कोरिया के लिए पहुंच मूल्य को गलत ढंग से निर्धारित किया गया है, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को गहरी आशंका है कि निर्यातक ने भारतीय सीमा शुल्क को बताई गई कीमतों से अधिक निर्यात कीमत का दावा किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से आंकड़ों का भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों से मिलाकर करने का अनुरोध किया गया है।
- ix. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रत्येक सहयोगी असंबद्ध उत्पादक /व्यापारी समूह के लिए अलग-अलग पाटन/क्षति मार्जिन की जरूरत की वकालत की है। तथापि, इस तर्क का कोई विधिक आधार नहीं है। एक उत्पादक के लिए, केवल वस्तु को विभिन्न व्यापारियों के जरिए बेचे जाने के कारण एक से अधिक पाटन मार्जिन नहीं होना चाहिए।
- x. कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पादन का पाटन होना जारी है। पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक बल्कि काफी अधिक है।

## उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

32. इस संबंध में उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- xii. समीक्षा जांच अवधि और उसके बाद के दौरान कुम्हों ने भारत में पीयूसी का पाटन नहीं किया है। भारत को कोरिया की पीयूसी की निर्यात कीमत में 2009 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों से लगातार वृद्धि हुई है।
- xiii. याचिका के अनुसार, कोरिया से पहुंच मूल्य अन्य देशों से अधिक है जिस पर न तो पाटन रोधी शुल्क है और न ही कोई जांच है। इसके अलावा, कुम्हों के पीयूसी का सत्यापन योग्य पहुंच मूल्य कोरिया से पीयूसी के धारित औसत पहुंच मूल्य और अन्य देशों जिन पर पाटन रोधी शुल्क लागू हैं से पीयूसी के भारत औसत पहुंच मूल्य से अधिक है।
- xiv. प्रत्येक सहयोग असंबद्ध उत्पादक/व्यापारी समूह के लिए अलग-अलग पाटन/क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाना

चाहिए।

- xv. कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जिससे एसीटोन की लागत और कीमत प्रभावित होती है, के कारण डीजीएडी को पाटन और क्षति मार्जिन ज्ञात करने के लिए मासिक लागत और कीमत अपनानी चाहिए।
- xvi. एसीटोन की कीमतें वैश्विक मांग और आपूर्ति आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
- xvii. जांच अवधि के दौरान, कोरिया से संबद्ध वस्तु के आयात केवल 8500 एमटी के हैं, जो भारतीय मांग के 5% से कम है। आयातों की इतनी कम मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- xviii. जांच अवधि के दौरान कोरिया पीयूसी की सीमित उत्पादन क्षमता है जिसमें से 90% की घरेलू खपत हो जाती है। जांच अवधि के बाद केपीबी द्वारा पीयूसी का कोई विस्तार या निर्धारित विस्तार नहीं हुआ है और केपीबी ने पहले ही अपने क्षमता उपयोग को अधिकतम कर लिया है।
- xix. बीपीए संयंत्र स्थापित किए जाने के कारण हाल के वर्षों में केपीबी द्वारा पीयूसी की आबद्ध खपत में वृद्धि हुई है।
- xx. केपीबी द्वारा पीयूसी के केवल कभी-कभी और छिटपुट निर्यात किए गए हैं और वह भी केवल असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से। इस प्रकार भारत केपीबी के लिए लक्षित बाजार नहीं है।
- xxi. केपीबी की पीयूसी के भारत को निर्यात बिना पाटनरोधी शुल्क वाले देशों से कम कीमत पर आयातों की तुलना में काफी कम रहे थे।
- xxii. केपीबी के पास पीयूसी की दो उत्पादन लाइनें हैं जिसकी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2 संयंत्रों के रूप में गलत व्याख्या की है। दोनों लाइनों का क्षमता उपयोग 100% है और डीआई द्वारा तथाकथित कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

33. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (iii) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (iv) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत.

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

34. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रत्येक सहयोगी असंबद्ध उत्पादक /व्यापारी समूह के लिए अलग-अलग पाटन/क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारण इस संबंध में डीजीएडी और नियमावली की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है।
35. इस तर्क के संबंध में कि कोरिया गणराज्य से आयातों की कम मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इस विवरण में कहीं और अलग से क्षति संबंधी विश्लेषण किया है।
36. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को मासिक आधार पर निर्धारित करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में संगत आंकड़ों का विश्लेषण मासिक आधार पर किया गया है।

### सामान्य मूल्य का निर्धारण

37. कोरिया गणराज्य से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।:

- iii. मैसर्स एलजी कैम लि0
- iv. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल्स इंक

### मैसर्स एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य

38. एलजी कैम लि. के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में, यह बताया गया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले कोरिया में उनके दो संयंत्र हैं। यह बताया गया है कि घरेलू बाजार में कंपनी ने जांच अवधि के दौरान अपनी स्वयं के घरेलू बिक्री और विपणन संगठन के जरिए अपने उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की है। परंतु इक्यू उत्तर के संलग्नक बी 2 में यह बताया गया है कि घरेलू बाजार में उनके दो बिक्री चैनल अर्थात् असंबद्ध घरेलू उपभोक्ता (विवरक या अंतिम प्रयोक्ता) को बिक्री और संबद्ध घरेलू उपभोक्ता (अंतिम प्रयोक्ता) को बिक्री हैं।
39. जहां तक जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्रियों का संबंध है, एलजी कैम लि0 द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर में बताया गया है कि भारत को निर्यात का केवल एक चैनल है और कंपनी ने भारतीय ग्राहकों को सीधे बिक्री की है। परंतु इक्यू उत्तर के संलग्नक बी 3 में जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्री श्रृंखला इस प्रकार बताई गई है (1) भारत में सीधे व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता की ओर (2) भारत में व्यापारी

या अंतिम प्रयोक्ता को असंबद्ध व्यापारी कंपनी के माध्यम से।

40. तत्पश्चात प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कंपनी ने बताया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को तीन चैनलों अर्थात् (1) दुबई में असंबंधित व्यापारियों/मांगकर्ताओं को बिक्री जिन्होंने भारत को उच्च समुद्री बिक्रियां की हैं (2) अमरीका में एक मांगकर्ता के साथ बिक्री संविदा जिसमें मांगकर्ता ने वाणिज्यिक बीजक, पहुंच बिल, आदि भारतीय क्रेता के पक्ष में बनाने समेत सभी दस्तावेज देने के निर्देश दिए थे, और (3) भारतीय क्रेता को बिक्री जिसमें सभी दस्तावेज भारतीय आयातक के पक्ष में बनाए गए थे।
41. ईक्यू के उत्तर में प्रस्तुत ब्यौरों और एलजी कैम लिमिटेड द्वारा किए गए बाद के पत्राचार से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत को कुल \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से \*\*\* एमटी को व्यापारिक कंपनियों अर्थात् \*\*\*, यूएई और \*\*\*, यूएसए के जरिए निर्यात किया गया था जो कुल निर्यातों का लगभग \*\*\* % हिस्सा बनते हैं तथा जिन्होंने वर्तमान जांच में ईक्यू उत्तर नहीं दिया है।
42. ऊपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर और निर्यातों की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी एलजी कैम लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के प्रतिनिधि के रूप में अलग मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए उन्होंने कंपनी को अलग मार्जिन नहीं दिए हैं। चूंकि ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में एलजी कैम लिमिटेड, कोरिया गणराज्य से संबंधित सामान्य मूल्य संगत नहीं समझा गया है इसलिए प्राधिकारी ने एलजी कैम लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य, जिसान केमिकल्स क . लि., कोरिया गणराज्य, ह्युमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, कोविन ग्लोबल क. लि. , कोरिया गणराज्य, एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, और ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

43. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक (केपीबी) ने दावा किया है कि कंपनी का एक संयंत्र कोरिया गणराज्य के यूओसू में है जो फेनोल ऐसिटोन आदि का उत्पादन करता है। यह भी बताया गया है कि केपीबी ने समीक्षा अवधि के दौरान अपने संबद्ध लोगों \*\*\* (केपीबी का एक प्रमुख शेयरधारक) को संबंधित उत्पादन की छोटी मात्रा की बिक्री की है। \*\*\* तत्पश्चात इस संबंधित उत्पाद का प्रयोग एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्पादन के लिए उक्त सामग्री के रूप में करता है । जहां तक कोरिया के घरेलू बाजार में बिक्री का संबंध है, यह बताया गया है कि समीक्षा अवधि के दौरान केपीबी के पास वितरण का केवल एक चैनल था। अर्थात् संबंधित और असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री। केपीबी ने कोरिया के घरेलू बाजार में अंतिम प्रयोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को संबंधित उत्पाद बेचा है।
44. भारत को निर्यातों के संबंध में यह बताया गया है कि जांच अवधि के दौरान केपीबी ने एक बिक्री चैनल अर्थात् कोरिया स्थिति वितरकों जिनके नाम जिसान केमिकल्स क . लि., ह्युमेड कार्पोरेशन, कोविन ग्लोबल क. लि., एम कार्पोरेशन और ओसी आई कार्पोरेशन लिमिटेड के जरिए भारत को संबंधित उत्पाद बेचा है। कोरिया गणराज्य में स्थित इन सभी व्यापारिक कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। तत्पश्चात् प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कंपनी ने बताया कि केवल सीमित संख्या में सौदों में व्यापारी कोरिया गणराज्य से बाहर के असंबद्ध व्यापारियों के साथ शामिल हुए थे जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के अनुसार जांच अवधि के दौरान

केपीबी ने एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\* , सिंगापुर के जरिए भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है। इसी प्रकार जांच अवधि के पश्चात केपीबी ने ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड , कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\* , सिंगापुर के जरिए भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा केपीबी द्वारा ह्युमेड को. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\* , यूएई के जरिए भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है।

45. इस प्रकार कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक द्वारा प्रस्तुत बाद की सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों में से \*\*\* एमटी अर्थात् जांच अवधि के दौरान भारत को केपीबी द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों के लगभग \*\*\* % हिस्से का निर्यात किया गया। यह निर्यात एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, ओसीआई कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, और ह्युमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के जरिए किया गया जिन्होंने बाद में उक्त वस्तु का क्रमशः : \*\*\* , सिंगापुर, \*\*\* , सिंगापुर और \*\*\* , यूएई के जरिए निर्यात किया। परंतु \*\*\* , सिंगापुर, \*\*\* , सिंगापुर और \*\*\* , यूएई ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

46. ऊपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर और निर्यातों की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य के प्रतिनिधि और संबंधित व्यापारिक कंपनियों के रूप में अलग मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए उन्होंने कंपनी को अलग मार्जिन नहीं दिए हैं। चूंकि ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य से संबंधित सामान्य मूल्य संगत नहीं समझा गया है इसलिए प्राधिकारी ने कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

### कोरिया के अन्य उत्पादकनिर्यातक

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक /उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ऊपर उल्लिखित कंपनियों सहित कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिक्री सामान्य और प्रशासनिक लागतों/खर्चों और तर्कसंगत लाभों अर्थात् 5% के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो \*\*\* अमरीकी डॉलर प्रति एमटी बनता है।

### निर्यात कीमत

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में कोरिया गणराज्य से निम्नलिखित उत्पादकों /निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था:

iii. मैसर्स एलजी कैम लिमिटेड

iv. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक

### मैसर्स एलजी कैम लिमिटेड

49. जहां तक जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्रियों का संबंध है, एलजी कैम लि0 द्वारा प्रस्तुत ईक्यू उत्तर में बताया गया है कि भारत को निर्यात का केवल एक चैनल है और कंपनी ने भारतीय ग्राहकों को

सीधे बिक्री की है। परंतु ईक्यू उत्तर के संलग्नक बी 3 में जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात बिक्री श्रृंखला इस प्रकार बताई गई है (1) भारत में सीधे व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता की ओर (2) भारत में व्यापारी या अंतिम प्रयोक्ता को भारत के अंतिम गंतव्य के साथ असंबद्ध व्यापारी कंपनी के माध्यम से।

50. तत्पश्चात् प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कंपनी ने बताया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को तीन चैनलों अर्थात् (1) दुबई में असंबंधित व्यापारियों/मांगकर्ताओं को बिक्री जिन्होंने भारत को उच्च समुद्री बिक्रीयां की हैं (2) अमरीका में एक मांगकर्ता के साथ बिक्री संविदा जिसमें मांगकर्ता ने वाणिज्यिक बीजक, पहुंच बिल, आदि भारतीय क्रेता के पक्ष में बनाने समेत सभी दस्तावेज देने के निर्देश दिए थे, और (3) भारतीय क्रेता को बिक्री जिसमें सभी दस्तावेज भारतीय आयातक के पक्ष में बनाए गए थे।
51. ईक्यू के उत्तर में प्रस्तुत ब्यौरों और एलजी कैम लिमिटेड द्वारा किए गए बाद के पत्राचार से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत को कुल \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से \*\*\* एमटी को व्यापारिक कंपनियों अर्थात् \*\*\*, यूई और \*\*\*, यूएसए के जरिए निर्यात किया गया था जो कुल निर्यातों का लगभग \*\*\* % हिस्सा बनते हैं तथा जिन्होंने वर्तमान जांच में ईक्यू उत्तर नहीं दिया है।
52. ऊपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर और यूई और यूएसए में व्यापारिक कंपनियों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिए जाने के कारण निर्यातों की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव की वजह से जांच अवधि के दौरान भारत को दावा किए गए निर्यातों के संबंध में पूरी मूल्य श्रृंखला स्थापित नहीं की जा सकती है। उक्त स्थिति को देखते हुए प्राधिकारी वर्तमान जांच में एलजी कैम लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के संबंध में अलग निर्यात कीमत और अलग मार्जिन मार्जिन निर्धारित नहीं करते हैं।

**कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य, जिसान केमिकल्स क. लि., कोरिया गणराज्य, ह्युमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, कोविन ग्लोबल क. लि. , कोरिया गणराज्य, एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, और ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया गणराज्य**

53. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में यह बताया गया है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने केवल एक बिक्री चैनल अर्थात् वितरकों के माध्यम से भारत को संबंधित उत्पाद की बिक्री की थी। वे कंपनियां जिनके के जरिए कुम्हों ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है , जिसान केमिकल्स क . लि., कोरिया गणराज्य, ह्युमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, कोविन ग्लोबल क . लि., कोरिया गणराज्य, एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड , कोरिया गणराज्य जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
54. तत्पश्चात् प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कुम्हो ने बताया कि केवल सीमित संख्या में सौदों में व्यापारी कोरिया गणराज्य से बाहर के असंबद्ध व्यापारियों के साथ शामिल हुए थे जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के अनुसार जांच अवधि के दौरान केपीबी ने एम कार्पोरेशन , कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\*, सिंगापुर के जरिए भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है। इसी प्रकार जांच अवधि के पश्चात् केपीबी ने ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\*, सिंगापुर के जरिए

भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा केपीबी द्वारा ह्युमेड को. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के जरिए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिसके बाद उसने \*\*\* , यूएई के जरिए भारत को उक्त वस्तु का निर्यात किया है।

55. इस प्रकार कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक द्वारा प्रस्तुत बाद की सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान भारत को कुम्हो द्वारा किए गए \*\*\* एमटी संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों में से \*\*\* एमटी अर्थात् जांच अवधि के दौरान भारत को केपीबी द्वारा संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों के लगभग \*\*\* % हिस्से का निर्यात किया गया यह निर्यात कतिपय व्यापारिक कंपनियों के जरिए भारत को किया गया है जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। ऊपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर और यूएई तथा सिंगापुर में व्यापारिक कंपनियों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने की वजह से निर्यात की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक , कोरिया गणराज्य और संबंधित व्यापारिक कंपनियों अर्थात् जिसान केमिकल्स क . लि., कोरिया गणराज्य, ह्युमेड कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, कोविन ग्लोबल क . लि., कोरिया गणराज्य, एम कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और ओसीआई कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के संबंध में वर्तमान जांच में अलग निर्यात कीमत और अलग मार्जिन निर्धारित नहीं करते हैं।

#### कोरिया के अन्य निर्यातक

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक /उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ऊपर उल्लिखित कंपनियों सहित कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो \*\*\* अमरीकी डॉलर प्रति एमटी बनता है।

#### पाटन मार्जिन

57. परिकल्पित सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार स्थल पर ऊपर यथानिर्धारित निर्यात कीमत की तुलना करने पर संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डॉलर/एमटी	निवल निर्यात कीमत डॉलर/एमटी	पाटन मार्जिन डॉलर/एमटी	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
1	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	***	***	***	15-25

#### **च. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**

##### घरेलू उद्योग के अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:

xxii. कीमत कटौती काफी अधिक है और यदि पाटन रोधी शुल्क की अवधि समाप्त होती है तो इससे बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ने की संभावना है।

xxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल जांच अवधि के दौरान की स्थिति पर विचार करना अपेक्षित है।

एचओसीएल ने उत्पाद के जबरदस्त पाटन जिसकी वजह से वर्तमान प्रचालन पूर्णतः अव्यवहार्य हो गए के कारण प्रचालन रोक दिया है। एचओसीएल पूरी तरह से व्यापार से बाहर नहीं हुआ है उसने केवल उत्पादन को बंद किया है।

- xxiv. वर्तमान जांच अवधि में उत्पादन , क्षमता उपयोग , घरेलू बिक्रियों , बाजार हिस्सा , लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू के कार्य निष्पादन में विकृति आई है । एसआई ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सूचना स्पष्ट रूप से उसके लाभों , नकद प्रवाह और निवेश पर आय में भारी विकृति दर्शाती है। यद्यपि एसआई ग्रुप निजी उपक्रम है परंतु एचओसीएल एक सरकारी क्षेत्र का संगठन है। कंपनी द्वारा उठाए गए वित्तीय घाटों ने कंपनी को अपना उत्पादन घटाने के लिए बाध्य कर दिया।
- xxv. हितबद्ध पक्षकारों ने दोनों भारतीय उत्पादकों के क्षमता उपयोग , माल सूची की स्थिति और कीमत प्राप्ति के बारे में गलत विवरण दिए हैं। याचिकाकर्ता की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। जांच अवधि में बिक्री प्राप्ति उत्पादन लागत से कम रही है । बिक्री प्राप्ति लागत में वृद्धि से कम रही है। बिक्री प्राप्ति में वृद्धि को अलग से बताना गुमराह करना है जब तक कि लागत बिक्रियों की प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया जाए।
- xxvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की स्थिति में एचओसीएल के कार्य निष्पादन से चिंतित है। एचओसीएल के कार्य निष्पादन में 2010-11 में काफी सुधार हुआ और वस्तुतः एचओसीएल के निष्पादन में सुधार को देखते हुए प्राधिकारी ने पहले संबद्ध वस्तु पर से शुल्क हटा दिए थे। तथापि भारतीय बाजार में उत्पाद के वैश्विक अधिक्य के पाटन के कारण एचओसीएल अपने निष्पादन में ओर सुधार नहीं कर सका और पुनः घाटा उठाने लगा।
- xxvii. यह तर्क दिया गया था कि जांच अवधि के दौरान कोरिया से आयात कुल मांग के 5% से कम है और इसलिए इनसे क्षति नहीं हो सकती है। यह तर्क निराधार है। पाटन- रोधी नियमावली में कुल आयातों में 3% और उससे अधिक के हिस्से वाले देशों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले की संभावना वाला माना गया है। इस मामले में आयात काफी अधिक है और वे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौतों और उसे कम कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पाटन-रोधी शुल्क हटाया जाता है तो यह संभावना है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात बढ़ जाएंगे और घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।
- xxviii. घरेलू उद्योग अब भी पाटित संबद्ध वस्तु के आयातों से निरंतर क्षति उठा रहा है।
- xxix. आयात कीमतों में बदलाव को निविष्टी लागत में परिवर्तन के साथ देखा जाना अपेक्षित है , केवल आयात कीमतों पर विचार करना बिल्कुल त्रुटिपूर्ण होगा। उत्पादन लागत में भी भारी वृद्धि हो गई है। वस्तुतः कोरिया के उत्पादकों ने लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं की है।
- xxx. प्राधिकारी को लागत ढांचे पर विचार करना चाहिए जिससे यह प्रदर्शित होगा कि सर्वोत्तम क्षमता उपयोग करने पर भी एचओसीएल को जांच अवधि में भारी प्रतिकूल कीमत प्रभाव का सामना करना पड़ा।
- xxxi. विनिमय उतार-चढ़ाव, मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और अस्थिर शेयर बाजार जैसा कोई कारक घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। इनमें से किसी कारक का जहां तक घरेलू

उद्योग और वर्तमान उत्पाद से संबंध है , कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तथापि घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी विकृति आई है जो स्पष्टतः सिद्ध करती है कि यह विकृति केपीबी द्वारा बताए गए कारणों की वजह से नहीं हुई है।

- xxxii. क्षति अवधि के दौरान एचओसीएल की लाभप्रदता और कंपनी का उत्पादन और बिक्री स्पष्टता सिद्ध करता है कि कंपनी ने पहले भारी लाभ कमाए थे जो अब ऐसी स्थिति तक घट गए हैं जहां घरेलू उद्योग को घाटा उठाना पड़ रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में इतना सुधार हुआ था कि पहले ताड़वान पर लागू पाटन रोधी शुल्क को यह मानते हुए हटा दिया था कि घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी उन्नयन या अद्यतन बनाने संबंधी तर्क निराधार है। वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ कंपनी को हाल में कोई क्षति नहीं हुई थी और अब उसे क्षति हो रही है। रोजगार के संबंध में याचिकाकर्ता ने बताया कि इसी रोजगार में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया था कि घरेलू उद्योग लाभप्रद रहा है और वह इस हद तक उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम रहा है कि वह क्षति नहीं उठा रहा है। ऐसे मामले में और यह देखते हुए कि रोजगार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इस तथ्य का कोई आधार नहीं है कि कंपनी में कर्मचारी अधिक है और उनके कारण क्षति हो रही है।
- xxxiii. जांच अवधि के दौरान कोरिया और अन्य देशों से आयात स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि तीसरे देशों से आयात न्यूनतम हैं चूंकि मात्रा स्वयं ही न्यूनतम सीमा से अधिक है इसलिए कीमत का कोई मायने नहीं है।
- xxxiv. कोरिया से आयात छुटपुट या कभी-कभी नहीं बल्कि भारी मात्रा में है। वास्तव में , वर्तमान वर्ष (2014-15) में आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई जिससे स्पष्ट रूप प्रदर्शित होता है कि पाटन रोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में कोरिया के उत्पादकों से घरेलू उद्योग को भारी क्षति होने की आशंका है।
- xxxv. एचओसीएल ने फेनोल और ऐसीटोन की लागत आबंटन के लिए कोई अलग पद्धति नहीं अपनाई है। एचओसीएल ने संगत ढंग से सूचना प्रस्तुत की है।
- xxxvi. संगत मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है और इस प्रकार कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।
- xxxvii. विचाराधीन उत्पादन की मांग में पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक वृद्धि हुई है इसलिए मांग में कमी ऐसा संभव कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xxxviii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
- xxxix. कोई ऐसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें नहीं हैं जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xi. उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन न तो हुआ है न ही आगामी भविष्य में परिवर्तन होने की कोई संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।

- xli. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी आई है जो उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप हुआ है।
- xlii. प्राधिकारी द्वारा पाटन की सत्यता को पिछले सभी मामलों में स्वीकार किया गया है। फेनोल और ऐसीटोन में भारी वैश्विक अधिशेष क्षमता भारत में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट कारण है। ऐसे भारी अधिशेष के आगे जारी रहने की संभावना है। वास्तव में फेनोल की मांग में ऐसीटोन में अनुपातिक वृद्धि हुए बिना वृद्धि होने की आशंका है जिससे वैश्विक बाजार में ऐसीटोन की कीमतों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

### उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

59. उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- xxxix. एसआई ग्रुप की माल सूची की स्थिति संपूर्ण क्षति अवधि में एचओसीएल से बेहतर थी और समीक्षावधि में एचओसीएल की माल सूची में सुधार हुआ।
  - xl. एचओसीएल ने उत्पादन के कमतर स्तर पर प्रचालन किया, उसकी प्रति इकाई स्थिर लागत अधिक थी। परिणामस्वरूप एसआई ग्रुप, जिसकी क्षमता उपयोग अधिक थी, की तुलना में उसकी बिक्री लागत अधिक थी।
  - xli. एचओसीएल और एसआई ग्रुप दोनों के एनएसआर में क्षति अवधि और विशेष रूप से समीक्षा जांच अवधि में काफी सुधार हुआ है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उत्पादक की आबद्ध खपत अंतरण कीमत स्वयं ही बाजार बिक्री प्राप्ति से निरंतर कम रही है जो यदि घरेलू उत्पादक बाजार कीमत पर आबद्ध खपत पर अंतरित की होती तो, अधिक होती।
  - xlii. एचओसीएल और एसआई ग्रुप दोनों द्वारा बिक्री कीमत प्राप्ति में क्षति अवधि और विशेष रूप से समीक्षा जांच अवधि में काफी सुधार हुआ है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उत्पादक की आबद्ध खपत अंतरण कीमत स्वयं ही बाजार बिक्री प्राप्ति से निरंतर कम रही है जो यदि घरेलू उत्पादक बाजार कीमत पर आबद्ध खपत पर अंतरित की होती तो, अधिक होती।
  - xliii. कोरिया से विचाराधीन उत्पाद का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि भारत द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में कोरिया का हिस्सा 2011 से चीनी टाईपेई से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर वर्ष 2012 में पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने तक तेजी से कम हुआ था।
  - xliv. ऐसीटोन और फेनोल उत्पादन करने वाले कोच्चि संयंत्र ने कोरिया आदि से विचाराधीन उत्पाद की कम कीमतों जो समीक्षा जांच अवधि की तुलना में कम थी, के बावजूद भारतीय वित्तीय वर्ष 2011-12 में और 10 वर्षों तक लगातार लाभ कमाया था।
  - xlv. निदेशक के रिपोर्ट 2012-13, जिसमें एलएसएफओ के बजाय बायलरों में एलएनजी का प्रयोग करने और कोच्चि में एचओसीएल द्वारा हाइड्रोजन पेरसाईड की बाधा समाप्त करने और क्षमता उपयोग में कुछ समायोजन करने संबंधी सुधारों की ओर संकेत किया था। एलएनजी द्वारा एलएसएफओ को प्रतिस्थापित किए जाने से एचओसीएल की लागत में काफी कमी होने की भी आशा थी और

प्राधिकारी द्वारा क्षति निर्धारित करने और एनआईपी परिकल्पित करने , दोनों में इसे समायोजित किया जाए।

- xlvi. एचओसीएल का कोच्चि संयंत्र फेनोल और ऐसीटोन दोनों का उत्पादन करता है। क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय दोनों के आंकड़ों को अलग किया जाए।
- xlvii. कम क्षमता उपयोग के परिणामस्वरूप, उच्च लागत हुई है इसलिए एचओसीएल के मामले में 100% क्षमता उपयोग के आधार पर एनआईपी प्रयोजन हेतु लागत का परिकल्पन किया जाए।
- xlviii. विनिमय दर, अस्थिरता, मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर, अस्थिर शेयर बाजार भी ऐसे कारक हैं जिन पर क्षति विश्लेषण में विचार किया जाए।
- xlix. घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमत प्राप्ति जांच अवधि समाप्त क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक बढ़ी है। तथापि, घरेलू उत्पादक बाजार बिक्री प्राप्ति से कम पर आबद्ध खपत के लिए पीयूसी को अंतरित कर रहे हैं।
- i. दोनों घरेलू उत्पादकों के क्षमता उपयोग , माल सूची और कीमत प्राप्ति में आयातों में वृद्धि और विशेष रूप से ताइवान से कथित पाटित आयातों के मुकाबले में भी जांच अवधि तथा क्षति अवधि में सुधार हुआ है।
  - ii. सीआईएफ में वृद्धि और परिणामस्वरूप उच्चतर पहुंच मूल्य के कारण कोरिया से आयातों में लगातार गिरावट आई है। कोरिया से पहुंच मूल्य जांच अवधि तथा जांच अवधि के बाद के दौरान सर्वाधिक रहा है इसलिए कोरिया से आयातों का घरेलू उत्पादकों पर कोई क्षतिकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
  - iii. कोरिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। जांच अवधि के दौरान 58870 रुपये/एमटी के औसत पहुंच मूल्य पर आयातों की मौजूदगी के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग 69432 रुपये/एमटी की कीमत पर उत्पाद बेच सका था और जांच अवधि के बाद कीमतें और अधिक रही थीं।
  - iiii. उच्च लागत एलएसएफओ को बॉयलरों , गर्म तेल भट्टी और सीपीपी के लिए ईंधन के रूप में एचओसीएल के कोच्चि संयंत्र द्वारा प्रयोग किया जाना एचओसीएल की लागत अकुशलता का प्रमुख कारण है।
  - liv. कोरिया से पहुंच मूल्य की गलत गणना की वजह से अधिक कीमत कटौती हुई है।
  - lv. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई 22% आरओसीई अतर्कसंगत है।
  - lvi. एचओसीएल द्वारा ऐसीटोन की आबद्ध खपत को प्राधिकारी द्वारा एनआईपी निर्धारित करते समय समायोजित किया जाना चाहिए।
  - lvii. जब एचओसीएल और एसआई दोनों के पास समान क्षमताएं और उत्पादन है तो एसआई का भागीदारी न करना सिद्ध करता है कि उस पर आयातों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है इसलिए

एचओसीएल का क्षति संबंधी दावा निराधार है।

- lviii. प्रत्येक जांच में एचओसीएल ने फेनोल और ऐसीटोन जो संयुक्त उत्पाद है, कि लागत आबंटन के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाई है, इसका समाधान किया जाना चाहिए।
- lix. कोरिया से आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि चीनी टाईपेई से एडीडी हटाए जाने से पहले कोरियाई आयातों में तेजी से गिरावट आई है।
- lx. कोरिया से आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है क्योंकि मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है और आयात अपरिहार्य है।
- lxi. एचओसीएल द्वारा अपनाई गई पुरानी प्रौद्योगिकी, उनकी क्षति का मुख्य कारण है। इसके अलावा, अधिक कर्मचारी होना भी उच्चतर उत्पादक लागत और अकुशलता का कारण है।
- lxii. जैसाकि एचओसीएल की निदेशक रिपोर्ट 2012-13 में स्वीकार किया गया है उच्च श्रमिक लागत और रसायनी इकाई में बंद पड़े संयंत्रों पर लागत का अधिक भार चिंता के प्रमुख विषय हैं।
- lxiii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि 60% ऐसीटोन के आयात ताइवान और साऊदी अरब से कम पाटित कीमतों पर एडीडी के बिना किए जा रहे थे और उनके लिए कथित रूप से साऊदी अरब से भारी पाटित आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच चल रही है इसलिए घरेलू उद्योग को किसी क्षति का कारण कुछ और ही है।
- lxiv. एचओसीएल के खराब निष्पादन का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा उठाए जा रहा वित्तीय संकट है इसलिए कोरिया से आयातों का एचओसीएल की स्वआरोपित क्षति से कोई वास्ता नहीं है।
- lxv. एचओसीएल द्वारा कम उत्पादन करना कंपनी को हुई क्षति का मुख्य कारण है। कम उत्पादन के कारण प्रति इकाई लागत अधिक है, परिणामस्वरूप बिक्री की उच्च लागत होती है। एसआई ग्रुप की तुलना में क्षमता उपयोग में अकुशलता के कारण एचओसीएल में उच्चतर बिक्री लागत है।
- lxvi. एचओसीएल के कार्य निष्पादन की तब से विस्तृत की जानी चाहिए जब मात्रात्मक प्रतिबंध लागू थे और ऐसीटोन के आयात प्रतिबंधित थे। एचओसीएल पाटन रोधी शुल्क और उसे निरंतर प्रदत्त अन्य संरक्षणों के बावजूद एक रूग्ण इकाई रहा है। एचओसीएल ने अपनी प्रौद्योगिकी को कभी अद्यतन और उसका उन्नयन नहीं किया है। यही बात उसके घाटों का प्रमुख कारण है।
- lxvii. जांच अवधि के दौरान एक कंपनी 105% पर प्रचालन कर रही है और दूसरी 67% पर प्रचालन कर रही है जो दर्शाता है कि एचओसीएल को घाटों का कारण आयातों के बजाय अन्य कारक हो सकते हैं।
- lxviii. कोरिया से भारत को ऐसीटोन के निर्यातों की मात्रा में एचओसीएल संयंत्र के कई महीनों तक बंद रहने के बावजूद गिरावट आई है।
- lxix. कोरिया द्वारा निर्यातित पीयूसी के आयातों की वजह से कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है। एचओसीएल ने पिछले दस वर्षों में लगातार लाभ कमाया है। कोरिया से पीयूसी के आयातों के कारण कोई कीमत

प्रभाव नहीं है।

- lxx. एचओसीएल के लाभों में 2012-13 में गिरावट आई थी जब चीनी ताइपेई से पीयूसी के आयातों पर से पाटनरोधी शुल्क हटाया गया था और चीनी ताइपेई से आयात काफी बढ़ गए थे जबकि कोरिया से निर्यातित पीयूसी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी। इस प्रकार कोरिया से आयातों के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है।
- lxxi. एचओसीएल की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में 2012-13 में उसे दावा किए गए घाटे के लिए आंशिक रूप से फेनोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होना दर्शाया गया है। इस प्रकार , दावित घाटा एसीटोन के अलावा स्पष्टत फेनोल के लिए है।
- lxxii. एडी शुल्क अनेक वर्षों से विभिन्न देशों से पीयूसी के आयातों पर लागू है। अतः यदि घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है तो यह स्पष्ट है कि उसके लिए आयातों के बजाय अन्य कारक जिम्मेदार है।
- lxxiii. एचओसीएल की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किए गए घाटों के लिए फेनोल पर एडीडी की समाप्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- lxxiv. जांच अवधि के दौरान एचओसीएल की क्षमता उपयोग और माल सूची की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दिखी है। एसआई ग्रुप की क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा है और माल सूची स्थिर रही है। ये दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। इसलिए, दावा की गई मात्रात्मक यदि कोई हो, संभवतः अन्य कारकों की वजह से और न कि कोरिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हो सकती है।
- lxxv. यदि संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनेक देशों पर एडीडी लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को आयातों के बजाय अन्य कारकों के कारक क्षति हुई है।
- lxxvi. कोरिया गणराज्य से आयातों का पहुंच मूल्य विभिन्न स्रोतों की तुलना में सर्वाधिक था जबकि आयातों की तुलना में कोरिया से आयातों का हिस्सा न्यूनतम था। यदि घरेलू उद्योग पर आयातों से कोई क्षतिकारी कीमत प्रभाव पड़ा है तो वह कोरिया गणराज्य से आयातों के कारण नहीं हुआ है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानून पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। यद्यपि तथ्यों और आकड़ों से संबंधित अधिकांश मुद्दों का क्षति विश्लेषण में तथ्यात्मक ढंग से समाधान किया गया है, तथापि कुछ विशिष्ट अनुरोधों की नीचे जांच और समाधान किया गया है:
- xvi. इस अनुरोध के संबंध में कि एसीटोन और फेनोल का उत्पादन करने वाला एचओसीएल का कोच्चि संयंत्र लगातार 10 वर्षों तक लाभ कमाता रहा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह चिंता का विषय है कि इस ईकाई ने जांच अवधि में घाटा उठाया।
- xvii. इस तर्क के संबंध में कि एचओसीएल ने ईंधन के रूप में एलएसएफओ के बजाय एलएनजी को अपनाया

है, सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन में एलएसएफओ का प्रयोग किया गया।

- xviii. इस अनुरोध के संबंध में कि एचओसीएल को कोच्चि संयंत्र फेनोल और एसीटोन दोनों का उत्पादन करता है और इसलिए क्षति मार्जिन के निर्धारण के समय दोनों के आकड़ों को अलग किया जाए प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी को सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए एडी नियमावली के अनुबंध -III के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- xix. इस अनुरोध के संबंध में कि कम क्षमता उपयोग से लागत बढ़ जाती है और इसलिए एचओसीएल के मामले में, एनआईपी प्रयोजन के लिए लागतों के 100% क्षमता उपयोग के आधार पर परिकल्पित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी मानते हैं कि एनआईपी को सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- xx. एचओसीएल द्वारा उत्पादित एसीटोन की लागत में संभावित कटौती के लिए एनआईपी में समायोजन करने की जरूरत संबंधी अनुरोध और एनआईपी के परिकल्पन पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी मानते हैं कि एनआईपी को जांच अवधि के लिए आकड़ों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में रेखांकित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- xxi. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई नियोजित पूंजी पर 22% आय (आरओसीई) युक्तिसंगत नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 22% आरओसीई की अनुमति देना डीजीएडी की संगत प्रक्रिया है।
- xxii. इस तर्क के संबंध में कि एसआई ग्रुप का भागीदारी नहीं करना सिद्ध करता है कि वह आयतों द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप ने आवेदन का समर्थन किया है और जांच शुरुआत के बाद अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है और एचओसीएल के साथ-साथ उसके घरेलू उद्योग का हिस्सा होने को प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।
- xxiii. इस तर्क के संबंध में एचओसीएल द्वारा पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाया जाना, अधिक कर्मचारी और बायलरों, सीपीपी आदि में महंगे ईंधन का प्रयोग करना उनकी अकुशलता का मुख्य कारण है, जिससे क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अगर ऐसा होता तो एचओसीएल दस लम्बे वर्षों तक लाभ नहीं कमा रहा होता।
- xxiv. प्राधिकारी मानते हैं कि एचओसीएल और एसआई ग्रुप के निष्पादन पर समग्र रूप से विचार करना उचित नहीं होगा क्योंकि एचओसीएल और एसआई ग्रुप विभिन्न स्थानों से अनेक उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण और एनआईपी के प्रयोजनार्थ एसीटोन के संबंध में एचओसीएल और एसआई ग्रुप के कार्य निष्पादन पर विचार किया है। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि एचओसीएल को क्षति रासायनी में बंद पड़े संयंत्र के कारण हुई है, वर्तमान जांच में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।
- xxv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण ताइवान और साऊदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयात है और न कि आयात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन अनेक स्रोतों से एक साथ हो सकता है। पाटनरोधी उपायों के उद्देश्य पाटन के स्रोतों का पता लगाना और पाटन के प्रभाव को निष्क्रिय

करना है ताकि घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके।

- xxvi. यह सच है कि एचओसीएल वित्तीय संकट से गुजर रही है , परंतु यह क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। एचओसीएल के समक्ष आ रहा वित्तीय संकट मुख्य निरंतर पाटन के कारण है।
- xxvii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एचओसीएल को कम उत्पादन कंपनी को हुई क्षति का मुख्य कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ईष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार किया। यह समयोजन उत्पादन में कमी के कारण एचओसीएल द्वारा उठाई गई क्षति, यदि कोई हो, का समाधान करता है।
- xxviii. इस तर्क के संबंध में कि एचओसीएल की पुरानी प्रौद्योगिकी और अधिक कर्मचारी होना उसकी क्षति का प्रमुख कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान एचओसीएल का कार्य निष्पादन और कंपनी का उत्पादन तथा बिक्री सिद्ध करते हैं कि कंपनी ने पूर्व में काफी लाभ कमाए थे जो अब कम हो गए हैं और वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ वह वित्तीय घाटा उठा रही है। यह दर्शाता है कि एचओसीएल पाटन की गैर-मौजूदगी में लाभ कमा रही थी।
- xxix. इस तर्क के संबंध में कि जांच अवधि के दौरान एसआई ग्रुप 105% पर प्रचालन कर रहा है एचओसीएल 67% पर प्रचालन कर रहा है और इसलिए एचओसीएल के घाटे आयातों के बजाय अन्य कारकों की वजह से हुए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग (जिसमें एचओसीएल और एसआई ग्रुप शामिल है) पाटन के कारण क्षति उठा रहा है। अतः : क्षति के लिए केवल कम क्षमता उपयोग को जिम्मेवार नहीं ठहरा जा सकता है।
- xxx. इस तर्क के संबंध में कि एचओसीएल का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 में घाटों का कारक फेनोल पर से पाटनरोधी शुल्क हटाया जाना भी बताया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसीटोन हैं और क्षति विश्लेषण उक्त उत्पाद के संदर्भ में संबद्ध देश से उसके पाटन के संबंध में किया गया है। फिर भी, घरेलू उद्योग को क्षति एक से अधिक स्रोत से निर्यातित एक से अधिक उत्पाद के पाटन के कारण एक साथ हो सकती है।
61. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने पर प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच की कार्यवाही करने से पहले घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की कार्यवाही करते हैं।
62. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम- 11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
63. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा,

स्टॉक, लाभप्रदता, निविल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर संबंधित नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

64. वर्तमान जांच लागू पाटन रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में व्यवस्था है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में भी आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे। अतः प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए क्षति निर्धारित की है। इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लागू हैं इसलिए प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करते समय विचार करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या क्षति पहुंचाने वाले पाटन का मुकाबला करने वाले मौजूदा पाटनरोधी उपाय पर्याप्त है या नहीं।
65. सीमाशुल्कपट्टेरिफ अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
66. वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात के मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच की है और कीमतों तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच करने के लिए इसकी जांच की है। प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनाने वाले मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड से संबंधित सूचना पर विचार करके घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। तदनुसार पाटित आयातों का मात्रा और कीमत प्रभाव निम्नानुसार परीक्षित किया गया है:

#### **मात्रात्मक प्रभाव**

#### **पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

#### **मांग और बाजार हिस्सा**

67. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत को निर्धारित भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग निम्नांकित तालिका में देखी जा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में देश में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है तथापि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
क	मांग					

1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	44,400	51,267	41,060	38,854
2	कुल आयात	एमटी	80,601	78,857	102,294	97,292
3	संबद्ध देश	एमटी	15,939	27,282	18,698	8,486
	कोरिया	एमटी	15,939	27,282	18,698	8,486
4	जांच के अधीन देश	एमटी	10,596	22,483	38,849	49,392
	ताईवान	एमटी	10,596	17,993	33,159	44,233
	साऊदी अरब	एमटी	-	4,490	5,690	5,159
5	देश जिन पर पाटन रोधी शुल्क लागू है	एमटी	51,713	26,401	39,316	37,778
6	अन्य देश	एमटी	2,353	2,691	5,431	1,636
7	कुल मांग	एमटी	125,001	130,124	143,354	136,146
ख	बाजार हिस्सा					
1	घरेलू उद्योग	%	36	39	29	29
2	संबद्ध देश	%	13	21	13	6
3	जांच के अधीन देश	%	8	17	27	36
4	देश जिन पर पाटन रोधी शुल्क लागू है	%	41	20	27	28
5	अन्य देश	%	2	2	4	1
6	कुल	%	100	100	100	100

### आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

68. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समय रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कम हुई है तथापि, पाटन रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद यह पर्याप्त बनी हुई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
क						
1	संबद्ध देश	एमटी	15,939	27,282	18,698	8,486
	कोरिया	एमटी	15,939	27,282	18,698	8,486
2	जांच के अधीन देश	एमटी	10,596	22,483	38,849	49,392
	ताईवान	एमटी	10,596	17,993	33,159	44,233

	साऊदी अरब	एमटी	-	4.490	5.690	5.159
3	देश जिन पर पाटन रोधी शल्क लाग है	एमटी	51,713	26,401	39,316	37,778
4	अन्य देश	एमटी	2.353	2.691	5.431	1.636
5	कुल आयात	एमटी	80.601	78.857	102.294	97.292
ख						
1	संबद्ध देश	%	20	35	18	9
	कोरिया	%	20	35	18	9
2	जांच के अधीन देश	%	13	29	38	51
	ताईवान	%	13	23	32	45
	साऊदी अरब	%	-	6	6	5
3	देश जिन पर पाटन रोधी शल्क लाग है	%	64	33	38	39
4	अन्य देश	%	3	3	5	2
5	कुल आयात	%	100	100	100	100

### कीमत प्रभाव

#### पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

69. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर पड़े प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत अल्पिकरण के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति निर्धारित करने के लिए कर, छूट, डिस्काउंट और कमीशन पर घरेलू उद्योग के व्यय को समायोजित किया गया है। क्षति के आकलन में कम कीमत पर बिक्री एक महत्वपूर्ण संकेतक है इसलिए प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत ज्ञात की है और कम कीमत पर बिक्री का पता लगाने के लिए उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है। घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत ज्ञात का मूल्यांकन जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पादन की लागत उचित ढंग से विचार करके सिद्धांतों के अनुसार किया गया है इसकी स्थिति निम्नानुसार है?

#### कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

70. प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क सहित और उसके बिना कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:

#### कीमत कटौती

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है। क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों भारी मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में

बढ़ गई होती।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। जांच अवधि के दौरान पाटन रोधी शुल्क सहित और उसके बिना कीमत कटौती मौजूद है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/एम टी	***	***	***	***
		सूची	100	104	137	139
2	पाटन रोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रुपये/एम टी	41,952	44,055	58,821	60,573
	प्रवृत्ति	सूची	100	105	140	144
3	पाटन रोधी शुल्क	रुपये/एम टी	3,252	3,109	3,241	3,615
4	पाटन रोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रुपये/एम टी	45,204	47,164	62,062	64,188
	पाटन रोधी शुल्क	सूची	100	104	137	142
5	पाटन रोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती	रुपये/एम टी	***	***	***	***
		सूची	100	100	113	94
6	पाटन रोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती	%	***	***	***	***
		रेंज	10-15	10-15	10-15	10-15
7	पाटन रोधी शुल्क के सहित कीमत कटौती	रुपये/एम टी	***	***	***	***
		सूची	100	105	131	71
8	पाटन रोधी शुल्क के सहित कीमत कटौती	%	***	***	***	***
		रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

### कम कीमत पर बिक्री

विवरण	माप की	जांच अवधि
-------	--------	-----------

	इकाई	
घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत	रुपये/एमटी	***
पाटन रोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रुपये/एमटी	60,573
पाटन रोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रुपये/एमटी	64,188
पाटन रोधी शुल्क के बिना कम कीमत पर बिक्री	रुपये/एमटी	***
पाटन रोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रुपये/एमटी	***
पाटन रोधी शुल्क के बिना कम कीमत पर बिक्री	%	***
पाटन रोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	%	***
<b>रेंज %</b>		
पाटन रोधी शुल्क के बिना कम कीमत पर बिक्री		5-15
पाटन रोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री		0-10

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री प्रभाव पाटन रोधी शुल्क सहित और उसके बिना दोनों स्थिति में सकारात्मक है

#### **कीमत न्यूनीकरण और अल्पिकरण**

74. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों की कीमत न्यूनीकरण और अल्पिकरण प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागत से की गई है। नीचे दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत से कम रही है। इसके अलावा, संबद्ध देश से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है जिससे कीमत न्यूनीकरण हुआ है।।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
1	बिक्री लागत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
		सूची	100	86	128	150
2	निवल बिक्री कीमत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
		सूची	100	104	137	139

#### **घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जांच**

75. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग से वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा,

नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार , घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है।

### उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

76. प्राधिकारी निम्नांकित तालिक से नोट करते हैं कि जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है जबकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में गिरावट आई है।

क्र.सं	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
1	स्थापित क्षमता	एमटी	45,500	45,500	45,500	47,140
		सूची	100	100	100	104
2	उत्पादन	एमटी	45,336	50,237	41,669	39,052
	प्रवृत्ति	सूची	100	111	92	86
3	क्षमता उपयोग	%	99.64	110.41	91.58	82.84
	प्रवृत्ति	सूची	100	111	92	83

### घरेलू उद्योग की बिक्रियां

77. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2010-11 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के पश्चात आधार पर वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है

क्र.सं	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
1.	घरेलू बिक्री	एमटी	41,302	48,442	39,897	38,433
	प्रवृत्ति	सूची	100	117	97	93

### लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

78. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व तथा पश्चात लाभ/हानि तथा नकद लाभ निम्नानंकित तालिका पर दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
1	उत्पादन लागत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूची	100	86	128	150

2	निवल बिक्री कीमत	रुपये/एम टी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूची	100	104	137	139
3	लाभ/हानि	रुपये/एम टी	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूची	100	373	261	(27)
4	लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूची	100	437	252	(25)
5	ब्याज पूर्व लाभ	रुपये/एम टी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूची	100	354	216	0
6	नकद लाभ	रुपये/एम टी	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	सूची	100	408	241	(13)
7	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूची	100	485	253	0

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में भारी गिरावट आई है। बिक्री कीमत में वृद्धि लागत के स्तर में वृद्धि से काफी कम है। ब्याज पूर्व लाभ में 2010-11 में वृद्धि हुई और तत्पश्चात इनमें जांच अवधि के दौरान भारी और तेजी से गिरावट आई है। यह भी नोट किया गया है कि नकद लाभों में भी लाभों जैसी ही प्रवृत्ति रही है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भारी गिरावट आई है जिससे जांच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद घाटे उठाने पड़े हैं। इसके अलावा, नियोजित पूंजी पर आय में भी विकृति आई है और जांच अवधि में ये ऋणात्मक स्तर तक पहुंच गई है।

### **माल सूची**

80. नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ माल सूची स्तरों में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
औसत स्टॉक	एमटी	1,402	1,355	1,144	837
	सूची	100	97	82	60

## रोजगार और मजदूरी

81. नीचे दी गई तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी दोनों ने क्षति अवधि में सुधार दर्शाया है। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि इस बात को देखते हुए कि घरेलू उद्योग बहु-उत्पाद कंपनी है और इन घटकों के आधार पर निष्पादन देश के कानून द्वारा अधिक शासित होता है , और हो सकता है ये पैरामीटर घरेलू उद्योग को पेश आई निरंतर क्षति के क्षति परावर्ती न हो।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
1	कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
		सूची	100	103	103	103
2	मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
		सूची	100	208	247	251

## उत्पादकता

82. प्राधिकारी नीचे दी गई तालिका से इस बात को नोट करती है कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान उत्पादन के साथ बढ़ी-घटी है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
1	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूची	100	108	89	84
2	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	124	138	114	107
	प्रवृत्ति	सूची	100	111	92	86

## पाटन मार्जिन का परिमाण

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन पाटन रोधी शुल्क के बावजूद सकारात्मक और भरपूर मात्रा में हुआ है।

## वृद्धि

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 2010-11 तक सकारात्मक वृद्धि दर्शाई लेकिन उसके बाद वृद्धि नकारात्मक बन गई और पीओआई के दौरान, वृद्धि उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक हो गई।

## घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले घटक

85. संबद्ध देश तथा दूसरे देशों से आयात की कीमतों की जांच , लागत संरचना में बदलाव , घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटन किए गए आयातों के अलावा ऐसे घटक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हो, इत्यादि यह दर्शाते हैं कि पाटन रोधी शुल्क के साथ और इसके बिना संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का अवतरण मूल्य बिक्री कीमत से कम है और घरेलू की गैर क्षतिकर कीमत के कारण भारतीय बाजार में कीमतों में कमी होने के साथ- साथ सस्ते दामों पर बिक्री की जा रही है। यह भी नोट किया गया कि पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु खासी वृद्धि दर्शा रही थी और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला घटक नहीं हो सकता था। इस प्रकार , घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का अवतरण मूल्य है।

## पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

86. पाटन की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा पूंजीगत निवेश बढ़ाने की योग्यता उपयुक्त नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग बहु-उत्पाद कंपनी है।

## ज. कारणात्मक संबंध

87. ये नियम प्राधिकारी को पाटित आयातों तथा पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच के कारणात्मक संबंध जांच करने के लिए अधिदेशित करते हैं। प्राधिकारी ने निम्नानुसार इस बात की जांच की कि क्या ज्ञात घटकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है:

- vii. **तीसरे देशों से आयात:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से ऐसे उत्पादन के आयात का पाटन पर विचार किया जा रहा है , जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और उन पर या तो पाटन रोधी शुल्क लगाया जा रहा है या फिर पाटन रोधी शुल्क लगाने की जांच की जा रही है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि यद्यपि जांचाधीन देशों तथा पाटन रोधी शुल्क के लिए रखे गए देशों से आयातों के अवतरण मूल्य की तुलना में कोरिया से आयात के कारण घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत रखने, सस्ती कीमत पर बेचने तथा कीमत पर दबाव के रूप में क्षति हो रही है।
- viii. **मांग में संकुचन:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है क्योंकि सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान देश में संबद्ध वस्तु की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है।
- ix. **खपत की पद्धति:** यह नोट किया जाता है कि किसी भी इच्छुक पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली सब्जेक्ट गुड्स की खपत की पद्धति में बदलाव के बारे में कोई निवेदन नहीं किया है।
- x. **प्रतिस्पर्धा की शर्तें :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक रीतियां घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।
- xi. **प्रौद्योगिकी में हुए बदलाव:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में इस बात को नहीं दर्शाया गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

- xii. **घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन** : घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन सुसंगत नहीं है अतः प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर विचार किया।

### **वास्तविक क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में निष्कर्ष**

88. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात के कारण कीमतें सस्ती हो रही हैं और कीमत कटौती और कमी के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, निरंतर पाटन के चलते घरेलू उद्योग की वित्तीय हालत बदतर हो गई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण भौतिक क्षति हुई है।

### **झ पाटन की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना**

#### **घरेलू उद्योग द्वारा क्षति संबंधी अनुरोध**

89. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- xix. पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना समाप्ति करने के लिए कोरिया से आयातों की वर्तमान मात्रा और कीमत स्वयमेव पर्याप्त है। इस बात में विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से यह मात्रा घट जाएगी।
- xx. विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी है और संबद्ध देश से इसको बढ़ाने जाने की संभावना है, तो क्या वर्तमान पाटन रोधी शुल्क को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- xxi. पाटन रोधी शुल्क के निरसन का तात्पर्य है घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति।
- xxii. वर्तमान में पाटन रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद आयातों की मात्रा काफी अधिक है।
- xxiii. पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर काफी दमनात्मक तथा अवनमनात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- xxiv. यह दिखा गया है कि केपीबी के बीपीए संयंत्र स्थापित किए जाने के बाद भी 44% विचाराधीन उत्पाद की आबद्ध रूप से खपत करेगा और केपीबी का 56% उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा, अन्य उत्पादक, एलजी केम, अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है जिससे कोरियन बाजार में खासा अधिशेष सृजित हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट तौर पर कोरियन उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और दोनों ही कोरियन उत्पादकों को कोरिया से बाहर बाजार संबंधी अवसर तलाशने के लिए बाध्य करेगी। एलजी द्वारा क्षमता में वृद्धि का असर सिर्फ एलजी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव निश्चित तौर पर केपीबी पर भी पड़ेगा।
- xxv. प्राधिकारी द्वारा विगत सभी मामलों में पाटन के तथ्य को स्थापित किया गया है। फेनोल तथा ऐसिटोन क्षमता में उल्लेखनीय वैश्विक अधिशेष स्पष्ट तौर पर इस उत्पाद के भारत में पाटन का कारण है। इस

प्रकार के उल्लेखनीय अधिशेषों की संभावना बनी रहेगी। बल्कि, ऐसीटोन की मांग में आनुपातिक वृद्धि के बिना फेनोल की मांग में वृद्धि की संभावना है , जिससे वैश्विक बाजार में ऐसीटोन की कीमतों पर पुनः दबाव आ जाएगा।

- xxvi. संबंधित उत्पाद के वैश्विक बाजार परिदृश्य की स्थिति अच्छी नहीं है। वैश्विक बाजार में इसका पर्याप्त मात्रा में अधिशेष मौजूद है और जिसके पुनः और बढ़ने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में उत्पादक वैश्विक तौर पर मौजूदा बाजारों तथा उपलब्ध क्षमताओं का इस्तेमाल करे की तलाश कर रहे हैं।
- xxvii. संबद्ध वस्तु की कीमतें वैश्विक मांग तथा आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अब ये उत्पाद वैश्विक बाजार में पर्याप्त मात्रा में अधिशेष है , अतः विदेशी उत्पादक निर्यात बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सहारा ले रहे हैं ताकि अपने स्वयं कि उत्पादन को इष्टतम बना सके।
- xxviii. वैश्विक तौर पर ऐसीटोन की मांग वर्तमान क्षमताओं से कम है। उत्पाद की पण्य प्रकृति , उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए, ऐसा होता है कि वैश्विक उत्पादक एक-दूसरे से प्रचंड प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार, वर्तमान में विश्व में इस उत्पाद की मात्रा अधिशेष में होने से कोरियन उत्पादकों को महत्वपूर्ण असर उपलब्ध हो जाएंगे ताकि वे पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन को बढ़ा दें।
- xxix. संबद्ध देश में उत्पादक विपुल क्षमताएं बनाए रखते हैं। पाटन- रोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा को पुनः बढ़ाना होता है , जो कि शुल्क लगाने के बावजूद निरंतर आयात के तथ्य से स्पष्ट है। संबद्ध देश में उत्पादकों की जात क्षमता निम्नानुसर है:
- क. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल्स संयंत्र की क्षमता 230,000 एमटी प्रतिवर्ष है। यह भी देखा गया है कि कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल्स 70-80% क्षमता पर चल रहा है। इस निर्यातक के पास अब भी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है जिसका वह उपयोग कर सकता है। पाटन रोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में, उत्पादक के उच्चतर क्षमता का प्रचालन करने तथा वस्तुओं को भारत को बेचने की संभावना है। कंपनी ने यह तर्क दिया था कि उन्होंने अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है, हालांकि उन्होंने यह तथ्य छुपाया है कि उनका एक संयंत्र वर्ष 2009 से बेकार पड़ा है।
- ख. एलजी के दो प्रचालन संयंत्रों की संयुक्त क्षमता के 360,000 एमटी प्रतिवर्ष है। इसके यीओसू स्थित संयंत्र की क्षमता 180000 मीट्रिक/प्रतिवर्ष है। इसने हाल ही में ऐसीटोन तथा फेनोल के लिए 2013 में डियासन में एक और संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र की नामांकित रूप में क्षमता 180000 एमटी प्रतिवर्ष है। आईसीआईएस की रिपोर्ट बताती है कि नया संयंत्र बाजार में व्यास कमजोर परिस्थितियों के कारण कमतर स्तरों पर प्रचालनरत है। इस प्रकार निर्यातक की अधिशेष क्षमता को देखते हुए , भारत में वस्तुएं निर्यात करने की संभावना है , क्योंकि भारत ऐसीटोन के लिए एक उभरता बाजार है। उपर्युक्त बातों के समर्थन में रिपोर्ट्स के निष्कर्षों को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
- xxx. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से विश्व को किया गया निर्यात पर्याप्त रूप से अधिक था। जिन कीमतों पर अन्य देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया गया था, वे भारत निर्यात की जा रही वस्तुओं की कीमत से कमतर थी। इसके अतिरिक्त , जांच अवधि के बाद की अवधि में , अन्य देशों तथा भारत को निर्यातित कीमतों का अंतर और बढ़ गया है। अतएव, यह देखा जा सकता है कि पाटन रोधी शुल्क

के प्रतिसंहरण की स्थिति में संबद्ध देश भारत को वस्तुओं का निर्यात उसी कीमत पर करेगा जिस कीमत पर उन्हें वैश्विक रूप से निर्यात किया गया है और इससे पाटन तथा घरेलू उद्योग की क्षति में बढ़ोतरी हुई।

- xxxi. कोरिया से निर्यात की मात्रा में कमी का कारण वैश्विक मांग का कमजोर पड़ना हो सकता है , जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।
- xxxii. शुल्क लगाए जाने के पश्चात आयातों में कमी तथा ऐसे निर्यातों में पाटन मार्जिन शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना को इंगित करता है और यह स्वयमेव पाटन रोधी के विस्तार को न्यायोचित ठहराता है।
- xxxiii. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वैयक्तिक कंपनी से संभावित क्षति को निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। संभावित क्षति की जांच देशवार होती है न कि कंपनी विशेष के अनुसार है। निर्यातक देश में एक से अधिक कंपनियां होने तथा उनमें से एक के घरेलू उद्योग क्षति पहुंचाने की संभावना नहीं होने की स्थिति में यह उस कंपनी के लिए पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति को न्यायसंगत नहीं ठहराता है।
- xxxiv. संबद्ध देश के उत्पादक विचाराधीन उत्पादों का पहले से ही अनेक देशों को पाटन कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। अतः पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश के उत्पादकों के उनके अन्य देश के किए जाने वाले निर्यातों के भारतीय बाजार की तरफ मोड़ने की संभावना है, विशेषकर भारत की बढ़ती मांग की स्थिति को देखते हुए।
- xxxv. आयातों में भारी वृद्धि होने के मामले में घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमतें घटाने पड़ेगी या बिक्री गंवानी पड़ेगी। प्रत्येक स्थिति को घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करता है तो उसे भारी वित्तीय घाटा , निवेश पर ऋणात्मक आय और ऋणात्मक नकद प्रवाहों को झेलना पड़ेगा। घरेलू उद्योग और अधिक बाजार हिस्से को गंवा देगा और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में नुकसान होगा।
- xxxvi. घरेलू उद्योग पहले से ही क्षति उठा रहा है। क्या वर्तमान पाटन रोधी शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाना चाहिए, क्या इससे घरेलू उद्योग की क्षति में और बढ़ोतरी होगी।

#### **उत्पादकों/निर्यातकों/आयतकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

90. संभावित पाटन तथा क्षति के संबंध में उत्पादकों /निर्यातकों/आयतकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- ix. घरेलू रूप से 90% अधिक खपत होने के साथ पीओआई समीक्षा के दौरान कोरिया में पीयूसी के उत्पादन की क्षमता सीमित है।
- x. एसएसआर पीओआई के पश्चात केपीबी द्वारा कोई विस्तार अथवा समुचित विस्तार नहीं किया गया और यह नोट किया जा सकता है कि केपीबी ने क्षमता उपयोग को पहले ही अधिकतम कर दिया है।
- xi. विचारित क्षति अवधि में भारत को कोरिया से किए गए निर्मातों में भारी कमी आई और यह कमी

खासतौर पर 2011 से चीनी ताईपेई पीयूसी पर से शुल्क हटाए जाने से पहले हुई।

xii. केपीबी द्वारा उसका स्वयं का आबद्ध बीपीए संयंत्र स्थापित किए जाने के कारण हाल ही के वर्षों में केपीबी द्वारा पीयूसी की आबद्ध खपत बढ़ गई है।

xiii. केपीबी के पीयूसी की भारत की सुपुर्दगी केवल छुटपुट और कभी-कभार ही रह गई है।

xiv. खासकर केपीबी के पीयूसी के भारत निर्यात की मात्रा ऐसे देशों से कम कीमतों पर आयात की मात्रा से अपेक्षाकृत काफी कम है जिन देशों में पाटन रोधी शुल्क नहीं है।

xv. यह तथ्य कि केपी बी के पीयूसी की भारत सुपुर्दगी छिटपुट और कभी- कभार ही रही है और वह भी सीधे तौर पर होने के बजाय विभिन्न असम्बद्ध व्यापारियों के माध्यम से हुई है - यह इस तथ्य को पुनः इंगित करता है कि भारत लक्ष्य बाजार नहीं है।

xvi. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि कोरिया से ऐसीटोन पर पाटन रोधी शुल्क को हटाए जाने से उसी तरह से पाटन पुनः आरंभ हो जाएगा जिस तरह से ताईवान से आयात के मामले में हुआ है, यह बात सही नहीं है क्योंकि कोरिया ऐसीटोन के अपने उत्पादन का 90% उपभोग करता है और उसके पास निर्यात के योग्य अधिशेष थोड़ा ही बचता है। कोरिया के पास जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक अन्य देश बाजार उपलब्ध है, कोरिया से आयात करने से चायनीज ताईपेई से आयात में बदलाव नहीं हुआ है और कोरिया की निर्यात कीमतों में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

91. वर्तमान जांच कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या पाटन रोधी शुल्क का निरंतर आरोपण न्यायसंगत है। इसके लिए इस बात की जांच करना भी जरूरी है कि क्या आरोपित शुल्क क्षतिकर पाटन को खत्म करने के अभिप्रेरित उद्देश्य को पूरा कर रहा है। वर्तमान जांच में चूंकि पाटन रोधी उपायों के आरोपण के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटित आयात हो रहा है, यह प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात की जांच करने की जरूरत नहीं है कि क्या शुल्क के प्रतिसंहरण से संबंधित उत्पाद के निरंतर पाटन होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल पाटन मार्जिन के साथ-साथ वर्तमान जांच अहम है और जहां तक संबद्ध वस्तु के लिए मांग तथा कीमत का संबंध है भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां विद्यमान है, प्राधिकारी के पास इस बात को माने जाने के कारण मौजूद है कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाता है तो पाटन में वृद्धि हो सकती है। यह सच है कि पाटन रोधी उपायों के प्रवर्तन में होने के बावजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का लगातार पाटन कर रहा है। निम्निखित विश्लेषण पाटन में संभावित बढ़ोतरी और पाटन रोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को और क्षति के बारे में बताया है।

### **(iv) चालू तथा गत पाटन मार्जिन के स्तर**

92. पाटन मार्जिन के स्तर के मूल रूप के साथ- साथ वर्तमान जांच महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग द्वारा मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता के बावजूद, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर आयात अब भी जारी है। पाटन रोधी शुल्क के बिना प्रतिस्पर्धी भी अपेक्षा कम कीमत, सस्ती कीमत के सतर तथा कीमत दमन को देखते हुए और कोरिया में क्षमता और भारत में मांग पर विचार करते हुए, पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में पाटित आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।

**(v) भारतीय बाजार का कीमत संबंधी आकर्षण**

93. संबद्ध वस्तुएं जिन कीमतों पर आयात की जा रही हैं वे कीमतें घरेलू बाजार में बेची जा रही वस्तुओं की कीमतों से कम हैं। अतः शुल्क के अवसान की स्थिति में निर्यातक भारतीय बाजार में अपने उत्पाद को पुनः श्रृंखलाबद्ध करेंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही विपुल क्षमताएं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है। इस प्रकार की परिस्थितियों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना है।

**(vi) विदेशी उत्पादकों का निर्यात पूर्वाभिमुखीकरण**

94. उपलब्ध जानकारी से यह नोट किया जाता है कि कोरियन उत्पादक /निर्यातक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं। भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उच्च मांग और अनुकूल बाजार परिस्थितियों तथा कोरियन उत्पादकों की उच्च उत्पादन क्षमता और निर्यातोन्मुखीकरण को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो भारत में संबद्ध वस्तु के लिए पर्याप्त मांग की सभी संभावनाओं की पूर्ति कोरियन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कर दी जाएगी।

95. निम्नलिखित घटक यह दर्शाते हैं कि पाटन की संभाव्य निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति तथा क्षति की संभाव्य निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति में आकस्मिक संबंध मौजूद है:

- क) पाटनरोधी शुल्क के प्रवर्तन में होने के बावजूद पीओआई में संबद्ध देश से पाटित आयात अहम बने हुए हैं।
- ख) संबद्ध देश घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में कीमतें को कम रख रहे हैं।
- ग) घरेलू उद्योग बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ तथा निवेश पर परिणामी प्रतिलाभ में खराब होती स्थिति के रूप में क्षति झेल रहा है।

**ज) क्षति तथा क्षति मार्जिन का परिमाण**

96. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की गैर क्षतिकर कीमतों जैसाकि इस प्राधिकारी द्वारा पाटन रोधी नियमों के अनुबंध-III के रूप में निर्धारित की गई है, को पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यात के अवतरण मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार से किए गए मासिक विश्लेषण के आधार पर क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	पीओआई
गैर-क्षतिकर कीमत	रुपये/एमटी	***
पाटन रोधी शुल्क के बिना अवतरण मूल्य	रुपये/एमटी	60,573
क्षति मार्जिन	रुपये/एमटी	***
क्षति मार्जिन	अम.डा./एमटी	***

क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	रेंज %	5-15

उपर्युक्त आंकड़ों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है अपितु पीओआई में भी अहम है।

### भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

97. प्राधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाटन रोधी शुल्कों के आरोपण से भारत में उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटन रोधी उपायों को लगाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन रोधी उपायों के आरोपण के पाटन रीतियों द्वारा उठाए गए अनुचित फायदे दूर होंगे, घरेलू उद्योग का पतन रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत उपलब्धता कायम रखने में सहायता मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी उपायों कि आरोपण से संबद्ध सं आयात में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर भी असर नहीं पड़ेगा। पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने का सामान्य उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार, रीतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थिति पुर्नस्थापित की जा सके, जो कि भारत के सामान्य हित में है।

### ट. प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां

98. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां /अनुरोध किए गए हैं जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है:

#### घरेलू उद्योग

- प्राधिकारी ने यह उचित माना है कि यूई और यूएस की व्यापारिक कंपनियों जो कुल निर्यात का \*\*\*% हिस्सा है, के द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने और निर्यातों की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य के प्रतिनिधि के रूप में अलग मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है प्राधिकारी ने यह भी सही माना है चूंकि कि ऐसी परिस्थितियों में एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य से संबंधित सामान्य मूल्य के निर्धारण को संगत नहीं माना गया है इसलिए प्राधिकारी ने एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है
- प्राधिकारी ने केपीबी के संबंध में यह उचित माना है कि चूंकि सिंगापुर और यूई की व्यापारिक कंपनियों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और निर्यातों की पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के कारण प्राधिकारी कुम्हो पी एण्ड बी केमि कल इंक., कोरिया गणराज्य और संबंधित व्यापारिक कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में अलग मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। अतः प्राधिकारी उक्त कंपनियों को अलग मार्जिन नहीं देने में सही है। प्राधिकारी ने इस संबंध में उचित व्यवस्था की है कि कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक., कोरिया गणराज्य से संबंधित मूल्य के निर्धारण को संगत नहीं माना गया है इसलिए प्राधिकारी कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक., कोरिया गणराज्य के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है

- iii. प्रकटन विवरण में प्रकटन स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग से वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातकों के इस कृत्य को विधि के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों का दुरुपयोग करके महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने का दुष्कृत्य मानना चाहिए।
- iv. निर्धारित क्षतिरहित कीमत काफी कम है और घरेलू उद्योग के विधि सम्मत हितों के संरक्षण के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है।
- v. अमरीकी डॉलर में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित राशि के रूप में पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और जारी रखना चाहिए और अगले पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए।

### **एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य**

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि यूईए और यूएसए में स्थित व्यापारिक कंपनियों के जरिए किया गया वस्तुओं का निर्यात लगभग \*\*\*% बनता है, गलत है। एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात \*\*\*% बनता है, व्यापारियों के जरिए निर्यात \*\*\*% बनता है।
- ii. दोनों व्यापारिक कंपनियां \*\*\*, यूईई और \*\*\*, यूएसए एलजी कैम लि. से संबंधित कंपनियां नहीं हैं। इसी वजह से एलजी का असंबद्ध कंपनियों के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यात पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव के आधार पर एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य को अलग मार्जिन प्रदान नहीं किए जाने का निर्णय विधि और प्रक्रिया के विपरीत है।
- iv. एलजी कैम लि. कोरिया गणराज्य ने उन सभी सौदों की जानकारी दी है जो भारत में निर्यात के लिए थे। इन्हीं के द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-2 में निर्यात सौदों की सूचना का आधार बना है। यह वस्तुएं पहले एक स्वतंत्र खरीददार को बेची गई है और उन्हें भारत को निर्यात कीमत परिकलन का आधार पर बनाया जाना चाहिए। वस्तुओं को वास्तविक रूप से कोरिया से भारत को सीधे परिवहन किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरी मूल्य श्रृंखला पर जोर दिया जाना मनमाना और अवैध है।

### **कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक. एम कापरिशन. ओसीआई कापरिशन लिमिटेड. जिसान केमिकल्स क. लि., ह्युमेड कापरिशन. कोविन ग्लोबल क. लि., कोरिया गणराज्य**

- i. केपीबी और संबंधित पांच समर्थक व्यापारी निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया था। अन्य व्यापारियों के जरिए निर्यात करने वाले व्यापारियों ने अपने-अपने परिशिष्ट-2 में ऐसे सौदों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। इस प्रकार यह गलत है कि संबंधित व्यापारिक कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना नहीं दी है।
- ii. यह बहाना बनाकर की प्राधिकारी निर्यातों के \*\*\*% के संबंध में पूरी मूल्य श्रृंखला स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण में घरेलू बिक्री सौदों पर ध्यान नहीं देना अनुचित और अस्वीकार्य है।

## प्राधिकारी द्वारा जांच

99. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां /अनुरोध जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है, उनकी निम्नानुसार जांच की गई है:

- i. जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) काफी कम है और घरेलू उद्योग के जायज हितों के संरक्षण के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- ii. जहां तक एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य से प्राप्त प्रकटन के पश्चात टिप्पणियों का संबंध है, इनकी निम्नानुसार जांच की गई है।

क. इस तर्क के संबंध में कि यूई और यूएसए में व्यापारिक कंपनियों के जरिए किया गया वस्तुओं का निर्यात \*\*\*% बनता है और न कि \*\*%, प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और नोट करते हैं कि यूई और यूएसए में व्यापारियों, जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है के जरिए एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य द्वारा किया गया निर्यात \*\*\*% बनता है। इसके होते हुए भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि \*\*% एक पर्याप्त मात्रा है और प्राधिकारी के समक्ष उसके बिना मूल्य श्रृंखला को पूरा नहीं माना जा सकता है और एलजी कैम लि. द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत को कंपनी की प्रतिनिधि कीमत नहीं माना जा सकता।

ख. इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य ने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे \*\*\*एमटी का निर्यात करने का दावा किया है उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने दिसंबर, 2011 में \*\*\*एमटी का निर्यात किया जो भारत में जांच अवधि के बाद पहुंचा। तथापि ऊपर उल्लिखित तर्कों की भारत के सीमा-शुल्क के आंकड़ों से जांच करते समय प्राधिकारी नोट करते हैं कि एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य ने जांच अवधि के दौरान भारत को \*\*\*एमटी का निर्यात किया है। इस प्रकार एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में लगभग \*\*\*एमटी के अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस स्थिति के मद्देनजर एलजी कैम लि., कोरिया गणराज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग मार्जिनों को प्रदान करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ग. इस तर्क के संबंध में कि दोनों व्यापारिक कंपनियों जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, एलजी कैम लि. से संबंधित कंपनियां नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंध न होने की बात गैर जरूरी है जबकि उत्पादक द्वारा सीधे भारत को संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का परिवहन किया गया है और संबंधित व्यापारिक कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार के सौदों को व्यापारिक कंपनियों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष पूरी सूचना के साथ आए बिना पूरी मूल्य श्रृंखला के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- iii. कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक, कोरिया गणराज्य और पांच प्रतिवादी व्यापारिक कंपनियों से प्राप्त प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियों के निम्नानुसार जांच की गई है:

क. इस तर्क के संबंध में कि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने वाली व्यापारिक कंपनियों ने अपने परिशिष्ट-2ख में अतिरिक्त व्यापारियों के जरिए किए गए सौदों संबंधी सूचना दी है

और इसलिए ऐसे अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा अलग निर्यातक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक पक्षकार जो निर्यात सौदों में शामिल है, उसे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देना होगा अन्यथा मूल्य श्रृंखला को पूर्ण और भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, व्यापारिक कंपनियों जैसे ह्युमेड, एम कार्पोरेशन और ओसीआई कार्पोरेशन ने अपने-अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में यह घोषित किया है कि वस्तुएं कुम्हो से खरीदी गई हैं और सीधे भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को निर्यात की गई है। अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में घोषित भारत में बिक्री श्रृंखला में सिंगापुर और यूई में अतिरिक्त व्यापारिक कंपनियों के जरिए किए गए निर्यातों को घोषित नहीं किया गया है। फिर भी यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कुम्हो पी एण्ड बी केमिकल इंक द्वारा जांच अवधि के दौरान कतिपय व्यापारिक कंपनियों के जरिए भारत को \*\*\*% निर्यात किया गया है जिसके संबंध में उत्तर नहीं दिया गया है। इस तरह के सौदों को व्यापारिक कंपनियों के पूरी सूचना के साथ प्राधिकारी के समक्ष आए बिना पूरी मूल्य श्रृंखला के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ख. इस तर्क के संबंध में कि यह बहाना बनाकर कि प्राधिकारी निर्यातों के \*\*\*% के संबंध में पूरी मूल्य श्रृंखला स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण में घरेलू बिक्री सौदों पर ध्यान नहीं देना अनुचित और अस्वीकार्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पादक/निर्यातक के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपेक्षित है। ऐसी किसी स्थिति में जब निर्यात कीमत निर्धारित नहीं है तब संबद्ध व्यापारिक कंपनियों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव में अलग पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है, ऐसी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित करना असंगत है।

### ठ निष्कर्ष

100. उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई जानकारी और इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए निवेदनों और प्राधिकारी के सक्षम अभिलेख के रूप में इस जांच में उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए तथा पाटन की निरंतरता की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण तथा परिणामी क्षति और पाटन तथा क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभाव्यता के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. कोरिया गणराज्य से संबंधित उत्पाद के निरंतर पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है।
- ii. अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा कीमतें कम रखने तथा सस्ती करने का प्रभाव सकारात्मक है।
- iii. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन बदतर हो चुका है।
- iv. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के बढ़ने की संभावना है, क्या चालू पाटन रोधी शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाना चाहिए।

### ड. सिफारिशें

101. उपर्युक्त निष्कर्ष के पश्चात प्राधिकारी की यह राय है कि पाटन रोधी उपाय को नीचे दी गई तालिका में यथाविहित रूप से बढ़ाया जाए।
102. प्राधिकारी द्वारा अपेक्षाकृत कम शुल्क संबंधी नियम का अनुपालन किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी पाटन तथा क्षति के अपेक्षाकृत कम मार्जिन के समान पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू

उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में इंगित राशि के बराबर पाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है जिसे संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा।

### शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मर्के	वस्तुओं का विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2914110 0	ऐसीटोन	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	79.75	एमटी	अमरीकी डॉलर
2.	तदेव	तदेव	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	कोई	कोई	79.75	एमटी	अमरीकी डॉलर
3.	तदेव	तदेव	कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	79.75	एमटी	अमरीकी डॉलर

#### ढ. आगे की प्रक्रिया

103. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश को स्वीकार करने के पश्चात इसके विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के समक्ष की जाएगी।

(जे.के .दाद)  
निर्दिष्ट प्राधिकारी